



महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन २०७७



अजयमेरु गाउँपालिका
डडेलधुरा



महालेखापरीक्षकको कार्यालय
काठमाडौं, नेपाल



महालेखापरीक्षकको कार्यालय
Office of the Auditor General

प्रदेश नं.५, कर्णाली प्रदेश, पाश्चिमाञ्चल प्रदेश लेखापरीक्षण
महानिदेशालय
नेपाल
२०१६

Phone : 4258174
4266034
4255707
A.G.Fax : 977-1-4268309
Fax : 977-1-4262798
Post Box : 13328
बबरमहल, काठमाण्डौ, नेपाल
Babar Mahal, Kathmandu, Nepal

पत्र संख्या: २०७६/७७
च.नं. ५०९

मिति: २०७७/३/३०

श्री अध्यक्षज्यू,
अजयमेरु गाउँपालिका, डडेलधुरा ।


विषय: लेखापरीक्षण प्रतिवेदन ।

नेपालको संविधानको धारा २४१ बमोजिम त्यस कार्यपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २०(२) बमोजिम यो प्रतिवेदन जारी गरिएको छ । उक्त प्रतिवेदन लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २०(३) र दफा २२ बमोजिम कारवाहीको लागि अनुरोध छ ।

.....
२०७७/३/३०
(चन्द्रकान्त भण्डारी)
नायव महालेखापरीक्षक

महालेखापरीक्षकको भनाई

नेपालको संविधानको धारा २४१ मा संघ, प्रदेश र स्थानीयतहका सबै सरकारी कार्यालयको लेखापरीक्षण नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यको आधारमा महालेखापरीक्षकबाट हुने व्यवस्था छ । लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २०(२) मा महालेखापरीक्षकले प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकाको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी अलग अलग प्रतिवेदन जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था बमोजिम स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को आर्थिक कारोवारको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी प्रतिवेदन तयार गरिएको छ ।



(टंकमणि शर्मा, दंगाल)
महालेखापरीक्षक

स्थानीय तहको लेखापरीक्षण नेपालको संविधान, लेखापरीक्षण ऐन, सरकारी लेखापरीक्षण मानदण्ड, वित्तीय लेखापरीक्षण मार्गदर्शन, स्थानीयतह लेखापरीक्षण निर्देशिका, महालेखापरीक्षकको वार्षिक लेखापरीक्षण योजना र निकायसंग सम्बन्धित ऐन नियम समेतको आधारमा सम्पन्न गरिएको छ । लेखापरीक्षणको प्रमुख उद्देश्यहरूमा वित्तीय विवरणको शुद्धता, प्रचलित कानूनको पालना, बजेट तथा योजना तर्जुमा एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन, खरिद व्यवस्थापन, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र उपयोग, जिम्मेवारी र जवाफदेहिता एवं सेवा प्रवाहको अवस्था मूल्याङ्कन गर्नु रहेको छ । त्यसैगरी स्रोत साधनको प्राप्त र उपयोग सम्बन्धमा प्रचलित कानूनको पालना भए नभएको विश्लेषण गरी वित्तीय व्यवस्थापनमा सुधारका लागि सुझाव प्रस्तुत गरी सुशासन प्रवर्द्धनमा टेवा पुऱ्याउनु लेखापरीक्षणको उद्देश्य रहेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को लेखापरीक्षण सम्पन्न भए पश्चात जारी प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपर प्राप्त प्रतिक्रियाका विषयहरू मिलाएर कायम रहेका व्यहोरा समावेश गरेर राय सहितको अन्तिम प्रतिवेदन जारी गरिएको छ । प्रतिवेदनमा दिएका सुझावहरूको कार्यान्वयनबाट स्थानीय तहमा रहेको सीमित स्रोत साधनको उपयोग गरी विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा मितव्ययिता, दक्षता र प्रभावकारिता हासिल गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । फलस्वरूप स्थानीय तहको कार्यसम्पादनमा जवाफदेहिता र पारदर्शिता प्रवर्द्धन हुने विश्वास लिइएको छ ।

लेखापरीक्षणबाट मूलतः स्थानीय तहमा प्राप्त हुने अनुदान, आन्तरिक आय र राजश्व बाँडफाँडको प्रक्षेपण यथार्थपरक नरहेको, आन्तरिक आयतर्फ संकलन न्यून रहेको, बजेट अनुशासन कमजोर रहेको, अवण्डा बजेट राखेको, खर्च पश्चात बजेट तथा कार्यक्रम संशोधन गरी अनुमोदन गर्ने गरेको, वर्षान्तमा बढी खर्च गरेको, अत्यधिक प्रशासनिक खर्च गरेको, वितरणमुखी खर्चको बाहुल्यता रहेको जस्ता प्रवृत्ति देखिएका छन् । त्यसैगरी विकास निर्माण तर्फ योजना प्राथमिकीकरण नगरेको, साना तथा टुक्रे आयोजनाको छनौट गरेको, जटिल प्रकृतिका कार्यहरू समेत उपभोक्ता समितिबाट गराएको, तोकिए बमोजिम जनसहभागिता नजुटेको, दिगो विकासका लक्ष्य अनुरूप योजना र कार्यक्रम तर्जुमा नगरेको, दीर्घकालिन विकासको खाका तर्जुमा नभएको जस्ता समस्या रहेका छन् । स्थानीयतहको आन्तरिक व्यवस्थापन तर्फ आवश्यक सीपयुक्त जनशक्तिको कमी रहेको, सेवाप्रवाहमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको, स्रोत साधन र सम्पत्तिको दुरुस्त अभिलेख नरहेको, संचालित योजना, कार्यक्रम, सेवा प्रवाहको अभिलेख नराखेको, लेखांकन तथा समग्र प्रतिवेदन प्रणाली र आन्तरिक नियन्त्रण कमजोर रहेको छ । साथै आन्तरिक लेखापरीक्षण भरपर्दो र प्रभावकारी नभएको पाइएको छ । गतविगतमा लेखापरीक्षणबाट औल्याएका व्यहोराहरू सुधार तथा बेरुजू उपर अपेक्षित रूपमा आवश्यक कारवाही भए गरेको समेत देखिएन ।

समय र जनशक्तिको सीमितताको बावजूद यथासम्भव स्थानीयतहको कार्यस्थलमा नै उपस्थित भै लेखापरीक्षण गर्ने प्रयास गरिएको थियो । लेखापरीक्षणको क्रममा स्थानीयतहका प्रमुख सहितका पदाधिकारीहरूसँग छलफल समेत गरिएको थियो । लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका व्यहोराको कार्यान्वयनबाट स्थानीय तहको वित्तीय व्यवस्थापनमा सुधार हुने, भौतिक पूर्वाधार र सेवाप्रवाहमा सुधार हुने अपेक्षा गरेको छ । स्थानीय तहको लेखापरीक्षणमा सहयोग पुऱ्याउने स्थानीय तहका सबै पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरू र लेखापरीक्षण तथा प्रतिवेदन तयारीमा संलग्न यस कार्यालयका कर्मचारीहरू सबैलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु । आगामी दिनमा समेत यस्तै सहयोगको अपेक्षा गर्दछु ।



महालेखापरीक्षण कार्यालय
Office of the Auditor General

प्रदेश नं.५, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश लेखापरीक्षण
महानिर्देशनालय

Phone : 4258174
4266034
4255707

A.G.Fax : 977-1-4268309

Fax : 977-1-4262798

Post Box : 13328

बबरमहल, काठमाण्डौ, नेपाल
Babar Mahal, Kathmandu, Nepal

मिति: २०७७/३/३०

पत्र संख्या: २०७६/७७

च.नं. ५१०

श्री अध्यक्षज्यू,
अजयमेरु गाउँ कार्यपालिकाको
कार्यालय, डडेलधुरा ।

विषय: लेखापरीक्षण प्रतिवेदन ।

कैफियत सहितको राय

हामीले अजयमेरु गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को वित्तीय विवरण र त्यससँग सम्बन्धित अन्य विवरण तथा लेखा टिप्पणीहरूको लेखापरीक्षण गरेका छौं ।

हाम्रो रायमा, यस प्रतिवेदनको कैफियतसहितको राय व्यक्त गर्ने आधार खण्डमा उल्लेख भएका विषयले पार्ने असर बाहेक, पेश भएको २०७६ आषाढ ३१ मा समाप्त भएको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को वित्तीय विवरण र त्यससँग सम्बन्धित अन्य विवरणले स्थानीय तहसँग सम्बन्धित प्रचलित कानूनबमोजिम सारभूत रूपमा सही तथा यथार्थ अवस्था चित्रण गर्दछ ।

कैफियतसहितको राय व्यक्त गर्ने आधार

१. पालिकाले महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृत नेपाल सार्वजनिक क्षेत्र लेखामानको ढाँचा प्रयोग गरी वित्तीय विवरण तयार गरेको छैन ।
२. लेखापरीक्षणबाट रु.१ करोड ४९ लाख २५ हजार बेरुजू देखिएको छ । सोमध्ये असुल गर्नुपर्ने रु.१ करोड २३ लाख २९ हजार, प्रमाण कागजात पेश गर्नुपर्ने रु.५ लाख ६६ हजार नियमित गर्नुपर्ने रु.२० लाख ३० हजार रहेको छ ।
३. लेखापरीक्षणमा देखिएका व्यहोराहरूका सम्बन्धमा मिति २०७६/०९/२ मा जारी गरिएको प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपर प्राप्त प्रतिक्रिया सहित १ दफाको रु.४१ लाख ६४ हजारको प्रमाण कागजात पेश हुन आएकोले उक्त दफाहरू प्रारम्भिक प्रतिवेदनबाट हटाइएको छ । अन्य दफा बेरुजू फछ्यौट नभई कायम व्यहोराको अन्तिम प्रतिवेदन पाना २१ (एक्काइस) यसैसाथ संलग्न छ ।
४. आमदानी तथा खर्चको सेस्ता नगदमा आधारित लेखा प्रणाली अवलम्बन गरेकोले पालिकाको पेशकीबाहेक सम्पत्ति तथा दायित्व यकिन हुने कुनै जानकारी खुलाएको छैन ।

हाम्रो लेखापरीक्षण कार्य नेपालको संविधान, लेखापरीक्षण ऐन तथा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले अवलम्बन गरेका सरकारी लेखापरीक्षण मानदण्ड, मार्गदर्शन तथा लेखापरीक्षणसँग सम्बन्धित अन्य प्रचलित कानूनबमोजिम गरिएको छ । वित्तीय विवरण तयार गर्ने स्थानीय तहसँग हामी स्वतन्त्र छौं । त्यसका लागि स्वीकृत आचारसंहिता अनुसार हामीले

५



महालेखापरीक्षण कार्यालय
Office of the Auditor General
प्रदेश नं.५, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश लेखापरीक्षण
महानिर्देशनालय

Phone : 4258174

4266034

4255707

A.G.Fax : 977-1-4268309

Fax : 977-1-4262798

Post Box : 13328

बबरमहल, काठमाण्डौ, नेपाल

Babar Mahal, Kathmandu, Nepal

काम गरेका छौं । लेखापरीक्षणको क्रममा प्राप्त गरेका लेखापरीक्षण प्रमाणहरू हाम्रो राय व्यक्त गर्ने आधारका लागि पर्याप्त र उपयुक्त छन् भन्ने कुरामा कार्यालय विश्वस्त छ ।

वित्तीय विवरण उपर व्यवस्थापन र लेखाउत्तरदायी अधिकारीको जिम्मेवारी

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा अन्य प्रचलित कानूनबमोजिम सही र यथार्थ हुने गरी वित्तीय विवरण तयार गर्ने तथा जालसाजी वा अन्य गल्तीका कारण वित्तीय विवरण सारभूत रूपमा गलत आँकडाहरूित स्वरूपमा बन्ने गरी आवश्यक आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली लागु गर्ने जिम्मेवारी गाउँपालिका व्यवस्थापनमा रहेको छ । गाउँ कार्यपालिका, गाउँपालिका अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत गाउँपालिकाको वित्तीय प्रतिवेदन प्रक्रियाको अनुगमनका लागि जिम्मेवार रहेका छन् ।

वित्तीय विवरणको लेखापरीक्षण उपर लेखापरीक्षकको जिम्मेवारी

वित्तीय प्रतिवेदन समग्रमा जालसाजी वा अन्य गल्तीसमेतका कारण सारभूत रूपमा गलत आँकडाहरूित रहेको होस् भनी उचित आश्वस्तता प्राप्त गरी रायसहितको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन जारी गर्नु लेखापरीक्षणको उद्देश्य हो । लेखापरीक्षणमा उचित आश्वस्तताले सामान्यस्तरको आश्वस्ततासम्म प्रदान गरेको हुन्छ, तर लेखापरीक्षण ऐन तथा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले अवलम्बन गरेका सरकारी लेखापरीक्षण मानदण्ड, मार्गदर्शन तथा लेखापरीक्षणसँग सम्बन्धित अन्य प्रचलित कानूनबमोजिम लेखापरीक्षण सम्पादन भएकै अवस्थामा पनि सबै प्रकारका जालसाजीजन्य वा अन्य गल्ती पत्ता लगाउन सक्ने निश्चितता भने हुँदैन । वित्तीय विवरणका उपयोगकर्ताले सामान्यतया गर्ने आर्थिक निर्णयमा नै फरक पार्न सक्ने अवस्था देखिएका एउटै वा समग्रतामा हुने विशेष वा जालसाजीजन्य वा अन्य गल्तीलाई सारभूत रूपमा गलत आँकडा मानिएको छ ।


(चन्द्रकान्त भण्डारी)
नायब महालेखापरीक्षक

अजयमेरु गाउँपालिका
लेखापरीक्षण प्रतिवेदन
२०७५/७६

परिचय: स्थानीय नेतृत्वको विकास गर्दै स्थानीय शासन पद्धतिलाई सुदृढ गरी स्थानीय तहमा विधायिकी, कार्यकारिणी र न्यायीक अभ्यासलाई संस्थागत गर्न र स्थानीय सरकारको सञ्चालन गर्न अजयमेरु गाउँपालिकाको स्थापना भएको हो । स्थानीय सरकारले सञ्चालन गर्ने हरेक कार्यमा सहकारीता, सहअस्तित्व र समन्वयलाई प्रवर्द्धन गर्नु र स्थानीय सरकारका हरेक काममा जनसहभागिता, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता सुनिश्चित गरी नागरिकलाई लाभको वितरणमा सुलभ र गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्नु हो । अजयमेरु गाउँपालिका अन्तर्गत ६ वडा रहेको ३३ सभा सदस्य १४८.९ व.कि.मी. क्षेत्रफल, १७०६६ जनसंख्या रहेको छ । यो गाउँपालिका सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अवस्थित छ ।

स्थानीय संचित कोष:- आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को समग्र संचित कोष आयव्यय हिसावको संक्षिप्त अवस्था निम्नबमोजिम रहेको छ ।

| सि.नं. | आयतर्फ | | | सि.नं. | व्ययतर्फ | | |
|--------|--------------------------------|-------------|-------------|--------|-------------------------------------|------------|--------------|
| | विवरण | रकम | रकम | | विवरण | रकम | रकम |
| १ | गत वर्षको जिम्मेवारी | | ६५५३८९५ | १ | चालु खर्च | | २३७३५६४३८.२७ |
| | क) नगद | ० | ० | २ | पूँजीगत खर्च | | ९७७७६०९७.६१ |
| | ख) बैंक | ६५५३८९५ | ० | ३ | विषयगत निकायबाट प्राप्त रकम खर्च | ० | ० |
| २ | राजस्व (आन्तरिक आय) | | ४९६४८९१०.७५ | | प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदान खर्च | ० | ० |
| | क) आन्तरिक राजस्व | ४२१८२६३.६० | ० | | वित्तीय व्यवस्था भुक्तानी | | ० |
| | ख) राजस्व बाँडफाँड | ४४३८०२०२.७४ | ० | | | | ० |
| | ग) प्रदेश राजस्व बाँडफाँड | १०५०४४४.४१ | ० | | क) ऋण भुक्तानी | | ० |
| | घ) अन्य आय | ० | ० | ४ | ख) ब्याज भुक्तानी | | ० |
| ३ | वित्तीय हस्तान्तरण | | २६५९५४५१७ | | ग) अन्य भुक्तानी | | ० |
| | क) वित्तीय समानीकरण अनुदान | ६८२००००० | ० | | लगानी | | ० |
| | ख) सशर्त अनुदान | १९७७५४५१७ | ० | | ऋण लगानी | | ० |
| | ग) समपूरक अनुदान | ० | ० | ५ | शेयर लगानी | | ० |
| | घ) विशेष अनुदान | ० | ० | ६ | अन्य लगानी | | ० |
| ४ | प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदान | | ७९५७००० | ७ | धरौटी फिर्ता | | ४१७९५१ |
| | क) वित्तीय समानीकरण अनुदान | ६९५१००० | ० | | को.ले.नि.का फिर्ता | | १४४४६११५.३४ |
| | ख) सशर्त अनुदान | १००६००० | ० | | कोष खर्च | | १४९९३७६.८ |
| | ग) समपूरक अनुदान | ० | ० | | मौज्दात | | २८५७५८४९.७३ |
| | घ) विशेष अनुदान | ० | ० | | क) नगद मौज्दात | | ० |
| ५ | अन्तर स्थानीय तहबाट प्राप्त | ० | ० | | ख) बैंक मौज्दात | | ० |
| ६ | अन्तर सरकारी तहबाट प्राप्त | ० | ० | | मूल संचित कोष | २७७२६७१.५३ | ० |
| ७ | वित्तीय व्यवस्था प्राप्ति | | ० | | धरौटी खाता | ३५७३६४ | ० |
| | क) ऋण प्राप्ति | | ० | | मर्मत सम्भार कोष | १२११९९.२९ | ० |
| | ख) साँवा प्राप्ति | | ० | | कर्मचारी कल्याण कोष | ४००००० | ० |
| | ग) ब्याज प्राप्ति | | ० | | विपद व्यवस्थापन | ५२४६१५ | ० |
| | घ) अन्य प्राप्ति | | ० | ८ | विविध खर्च | | ० |
| ८ | विभिन्न कोषतर्फको आय | | २५४५१९१ | | | | ० |
| ९ | जनसहभागिता (नगद) | | ० | | | | ० |
| १० | विषयगत निकायबाट प्राप्त रकम | | ० | | | | ० |
| ११ | धरौटी आय | | ७७५३१५ | | | | ० |
| १२ | लगानीको साँवा फिर्ता | | ० | | | | ० |
| १३ | अन्य विविध आय | | ४६६३७००० | | | | ० |
| | जम्मा | | ३८००७८२८.७५ | | जम्मा | | ३८००७८२८.७५ |

| दफा नं. | भौ.नं., मिति र व्यहोरा | बेरुजू रकम | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|-------|--|-----------------|----|--|--|------------------|----|--|--|--------------------|----|--|--|------------------|---|--|--|------------------------------|----|--|---|---|----|-------|---|-------------------|---|--------|---|----------------|---|-------|---|--------------------|---|-------|--|
| | उपरोक्त आर्थिक कारोवारहरुको पेश भएसम्मको सेस्ता र प्राप्त आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको मूल्याङ्कन तथा स्वीकृत लेखापरीक्षण योजनाबमोजिम लेखापरीक्षणको उद्देश्य प्राप्तिका लागि जोखिम विश्लेषण, नमूना छनौट र लिखित प्रतिनिधित्वपत्रको आधारमा लेखापरीक्षण नीति, मानदण्ड, मार्गदर्शन, निर्देशन, एवं व्यवसायिक लेखापरीक्षणका असल अभ्यासका आधारमा लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएको छ । लेखापरीक्षकको जिम्मेवारी लेखापरीक्षण निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन जारी गर्नु हो भने आर्थिक कारोवार र वित्तीय विवरणको सम्पूर्ण जिम्मेवारी व्यवस्थापन पक्षमा रहेको छ । रु.३ लाखभन्दा बढी खर्च भएका योजनाहरुको सेस्ता नमूना छनौटको माध्यमबाट लेखापरीक्षण गर्दा देखिएका व्यहोराका सम्बन्धमा कार्यालयका सम्बन्धित पदाधिकारीहरूसँग मस्यौदा प्रतिवेदनउपर मिति २०७६।८।२९ मा छलफल गरी कायम हुन आएका व्यहोराहरु निम्नानुसार छन्: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | लेखापरीक्षणको क्रममा रु.४१७९३१- असुल गरी दाखिला भएको छ । | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १. | स्थानीय तह सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोजिम स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको राजश्व र व्ययको अनुमान कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराई २०७५ आषाढ १० गतेभित्र सभामा पेश गर्नुपर्ने, १५ दिनभित्र छलफल सम्पन्न गरी आषाढ मसान्तभित्र नै पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकोमा २०७५ आषाढ १० गते छलफलका लागि पेश गरी २०७५ फाल्गुण १२ मा संशोधनसहित गाउँ सभाबाट पारित भएको छ । | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २. | गाउँ सभाको चौथो बैठकबाट नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत भएको छ । जसअनुसार कुल आय व्यय रु.३४ करोड ७९ लाख १५ हजार बराबरको अनुमान पेश भएको छ । उक्त अनुमानमा गाउँस्तरिय कार्यक्रममा देहाय अनुसार बाँडफाँड गरेको देखिन्छ। | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>सि.नं.</th> <th>क्षेत्रगत कार्यक्रम</th> <th>कार्यक्रम संख्या</th> <th>विनियोजित बजेट (रु. हजारमा)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>क</td> <td>गाउँपालिकास्तरिय कार्यक्रम</td> <td>-</td> <td>८१५९४</td> </tr> <tr> <td></td> <td>१) आर्थिक विकास</td> <td>११</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>२) सामाजिक विकास</td> <td>३१</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>३) पूर्वाधार विकास</td> <td>१५</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>४) वातावरण विकास</td> <td>३</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>५) संस्थागत विकास प्रवर्द्धन</td> <td>१५</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ख</td> <td>वडास्तरिय कार्यक्रमहरु कार्यक्रमहरु: वडा नं. १ देखि ६ सम्म आर्थिक, सामाजिक, संस्थागत प्रवर्द्धन तथा वातावरण संरक्षण, लक्षित वर्ग उत्थान</td> <td>९६</td> <td>२५०००</td> </tr> <tr> <td>ग</td> <td>सशर्ततर्फ:</td> <td>-</td> <td>१६७५००</td> </tr> <tr> <td>घ</td> <td>प्रशासनिक खर्च</td> <td>-</td> <td>२९७०२</td> </tr> <tr> <td>ङ</td> <td>चालु कार्यक्रमतर्फ</td> <td>-</td> <td>४४११९</td> </tr> </tbody> </table> | सि.नं. | क्षेत्रगत कार्यक्रम | कार्यक्रम संख्या | विनियोजित बजेट (रु. हजारमा) | क | गाउँपालिकास्तरिय कार्यक्रम | - | ८१५९४ | | १) आर्थिक विकास | ११ | | | २) सामाजिक विकास | ३१ | | | ३) पूर्वाधार विकास | १५ | | | ४) वातावरण विकास | ३ | | | ५) संस्थागत विकास प्रवर्द्धन | १५ | | ख | वडास्तरिय कार्यक्रमहरु कार्यक्रमहरु: वडा नं. १ देखि ६ सम्म आर्थिक, सामाजिक, संस्थागत प्रवर्द्धन तथा वातावरण संरक्षण, लक्षित वर्ग उत्थान | ९६ | २५००० | ग | सशर्ततर्फ: | - | १६७५०० | घ | प्रशासनिक खर्च | - | २९७०२ | ङ | चालु कार्यक्रमतर्फ | - | ४४११९ | |
| सि.नं. | क्षेत्रगत कार्यक्रम | कार्यक्रम संख्या | विनियोजित बजेट (रु. हजारमा) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| क | गाउँपालिकास्तरिय कार्यक्रम | - | ८१५९४ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | १) आर्थिक विकास | ११ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | २) सामाजिक विकास | ३१ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ३) पूर्वाधार विकास | १५ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ४) वातावरण विकास | ३ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ५) संस्थागत विकास प्रवर्द्धन | १५ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ख | वडास्तरिय कार्यक्रमहरु कार्यक्रमहरु: वडा नं. १ देखि ६ सम्म आर्थिक, सामाजिक, संस्थागत प्रवर्द्धन तथा वातावरण संरक्षण, लक्षित वर्ग उत्थान | ९६ | २५००० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ग | सशर्ततर्फ: | - | १६७५०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| घ | प्रशासनिक खर्च | - | २९७०२ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ङ | चालु कार्यक्रमतर्फ | - | ४४११९ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | गाउँ सभाको तेस्रो बैठकको निर्णयबाट अनुमोदन भएका उपरोक्त शिर्षकगत योजना तथा कार्यक्रममध्ये चौथो बैठकले पूर्वाधारका १८ वटा कार्यक्रमको बजेट रु.१ करोड २४ लाख ८९ हजार घटाएर अन्य ३४ वटा स साना कार्यक्रमका (चालुतर्फ) थप गरेको देखियो । सोमध्ये गाउँपालिकास्तरिय पूर्वाधारका विभिन्न ९ कार्यक्रमको रु.६८ लाख ५६ हजार बजेट कटौती भएको देखिन्छ । वर्षान्तमा रकमान्तर हुने प्रवृत्तिमा नियन्त्रण हुनपर्दछ । | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | वित्तीय लेखापरीक्षणबाट देखिएका व्यहोरा देहायबमोजिम छन्: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| दफा नं. | भौ.नं., मिति र व्यहोरा | बेरुजू रकम |
|---------|--|------------|
| ३. | आयको अनुमान: स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६६ बमोजिम स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिले गाउँपालिकामा प्राप्त हुने आन्तरिक आयसमेतको व्यवस्थापन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । गाउँपालिकाले पेश गरेको आय-व्ययको अनुमानमा आन्तरिक आयतर्फ मालपोत, कर, सेवा शुल्क, दस्तुर वापत अनुमानित रु.४७१७४३६।०० आय प्राप्त हुने प्रक्षेपण गरेकोमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा रु.५९३५६९९।९८ अर्थात अनुमान भन्दा २५.८२ प्रतिशत बढी आय प्राप्त गरेको छ । आम्दानीका स्रोतको पहिचान गरी थप आयको अनुमान यथाथपरक बनाउन विशेष ध्यान दिन आवश्यक देखिएको छ । | |
| ४. | खर्च गर्ने अख्तियारी: स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७३ बमोजिम सभाबाट बजेट स्वीकृत भएको सात दिनभित्र प्रमुख वा अध्यक्षले प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतलाई बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी प्रदान गर्ने व्यवस्था छ । गाउँपालिका अध्यक्षले प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतलाई खर्च गर्ने अख्तियारी दिएको छ । प्रशासकिय अधिकृतले १५ दिनभित्र वडा सचिवलाई कार्यक्रम र बजेटसहित प्रचलित कानून बमोजिम खर्च गर्ने अख्तियारी दिनुपर्ने व्यवस्था भएपनि अख्तियारी प्रदान गर्ने गरेको पाइएन । अतः स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोजिम बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी प्रदान गरी खर्च गर्नुपर्ने पर्दछ । | |
| ५. | आन्तरिक आय: कार्यालयले यो वर्ष रु.५९३५६९९।९८ आन्तरिक आय प्राप्त गरेकोमा गाउँपालिका अन्तर्गतका ६ वटा वडाको आम्दानीसमेत एकमुष्ट केन्द्रले दाखिला गर्ने गरेको देखियो । वडा कार्यालयहरूमा आयको दैनिक प्राप्ति खाता, आयको मासिक विवरणसमेत बनाउने गरेको देखिएन । गाउँपालिकाको आयमा वडागत योगदान यकिन हुन सकेन । अतः आगामी दिनमा प्रत्येक वडाले मासिक आय विवरण तयार गरी गाउँपालिकामा पठाउने र गाउँपालिकाले वडागत विवरणसमेत देखिने गरी मासिक र वार्षिक आय विवरण तयार गर्नुपर्ने देखिन्छ । | |
| ६. | आयव्ययको लेखा : स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७२(२) मा गाउँपालिकाले नेपाल सरकारले निर्धारण गरेबमोजिमको आय र व्ययको वर्गिकरण तथा खर्च शीर्षकसम्बन्धी व्यवस्था अवलम्बन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । कार्यालयले यो वर्ष एकल खाता कोष प्रणालीबाट सञ्चालन गरी भुक्तानी गर्नुपर्ने सामाजिक सुरक्षा भत्ता, बहुक्षेत्रीय पोषण, स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रमको बजेट स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा जम्मा गरेर खर्च गरेको, चालु र पूँजीगत खर्च शीर्षकको विनियोजन तथा नेपाल सरकारको आय तथा व्यय शीर्षकको शीर्षकगत लेखाङ्कन पालना स्थिति कमजोर रहेको, योजनागत खाता अद्यावधिक हुन नसकेको देखिन्छ । कार्यालयले तोकिएको विनियोजन तथा खर्च प्रणाली अवलम्बन गर्दै आय तथा व्ययको शीर्षकगत परिपालनामा विशेष ध्यान दिनुपर्दछ । | |
| ७. | मध्यकालिन खर्च संरचना : अन्तर-सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ मा स्थानीय तहले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा आ-आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्रका विषयहरूमा हुने सार्वजनिक खर्चको अनुमानित विवरण तयार गर्दा आगामी तीन वर्षमा हुने खर्चको प्रक्षेपणसहित मध्यकालिन खर्चको संरचना तयार गर्नुपर्ने उल्लेख छ । गाउँपालिकाले सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने मध्यकालिन खर्च संरचना कार्यान्वयनमा ल्याएको छैन । स्रोतको वितरणमुखी प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न, स्रोतसाधनलाई प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा प्रवाह गर्न तथा योजनाहरूलाई लागतलाभ विश्लेषण गरी लागतप्रभावी बनाउन मध्यकालिन खर्च संरचनालाई कार्यान्वयन गर्न कार्यालयले ध्यान दिनुपर्दछ । | |
| ८. | बजेट सीमा निर्धारण समिति : स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६६(१) बमोजिम गाउँपालिकामा प्राप्त हुने आन्तरिक आय, राजश्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने रकम, अनुदान, ऋण र अन्य आयको प्रक्षेपण तथा सोको | |

| दफा नं. | भौ.नं., मिति र व्यहोरा | बेरुजू रकम |
|---------|--|------------|
| | सन्तुलित वितरणको खाका र बजेट सीमा निर्धारण गर्न ७ सदस्यीय स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समिति गठनको व्यवस्था छ। उक्त समितिले आयको प्रक्षेपण, साधनको सन्तुलित वितरणको खाका, बजेटको कूल सीमा, बजेटको क्षेत्रगत सीमा निर्धारण, बजेट तथा कार्यक्रमको प्राथमिकीकरण, विषयक्षेत्रगत बजेट तर्जुमा मार्गदर्शन तय गर्नुपर्ने जस्ता कार्यहरु फाल्गुन महिनाभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने र बजेट प्रक्षेपण गर्दा आगामी आर्थिक वर्षपछिको थप दुई वर्षको समेत प्रक्षेपण तयार गर्नुका साथै तयार भएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सीमा प्रमूख प्रशासकीय अधिकृतले चैत्र १५ गतेभित्र गाउँपालिकाका विषयगत शाखा तथा वडा समितिलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेकोमा गाउँपालिकाले समितिको गठन गरेको छैन। ऐनमा व्यवस्था भएअनुसार बजेट सीमालगायतका क्षेत्रगत विषय समेटी बजेट प्रक्षेपण सम्बन्धी नियम तथा कार्यविधिको तर्जुमा एवं सोको पालनामा सम्बन्धित पदाधिकारीको ध्यान जानुपर्दछ। | |
| ९. | नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन स्थिति : निकायको आ.व. २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएका तपसिलका व्यवस्थाहरु कार्यान्वयन भएको देखिएन : <ul style="list-style-type: none"> • कृषिमा आधुनिक क्रान्ति ल्याउने, • बेरोजगारी घटाउन सिपमूलक अभियान सञ्चालन गर्ने, • महिला तथा बालबालिकाका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, • सबै वडाहरुमा सडक सञ्जालले एकिकृत गर्ने। | |
| १०. | बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा : स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६७(१) मा ४ सदस्यीय बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति गठन गरी आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट तथा कार्यक्रम, कार्यक्रमको प्राथमिकीकरण, विषय क्षेत्रगत कार्यक्रम, योजना तथा कार्यक्रममा दोहोरोपना हुन नदिई आपसी तादात्म्यता तथा परिपूरकता कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था अनुसार समिति गठन गरेको भएता पनि आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम, कार्यक्रमको प्राथमिकीकरण, कार्यक्रमबीच परिपूरकता कायम गरेको समेत नदेखिएकाले बजेट तर्जुमा गर्दा ऐनमा भएको व्यवस्थाको परिपालनामा ध्यान दिनुपर्दछ। | |
| ११. | चौमासिक खर्च: गाउँपालिकाले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार वार्षिक रु.३३६५०९९९१०४ निकासा भएकोमा प्रथम चौमासिकमा रु.६९८८४४४४१६० अर्थात १८.३९ प्रतिशत, दोश्रो चौमासिकमा रु. ८६०९७९०९१५३, अर्थात २५.५६ प्रतिशत र तेश्रो चौमासिकमा रु. ९८८६०७६३६१९९, अर्थात ५६.०५ प्रतिशत खर्च गरेको देखिएको छ। यसरी नै आषाढ महिनामा मात्र रु.८९९०३५३६१४७ अर्थात २६.४८ प्रतिशत खर्च गरेको देखियो। आर्थिक वर्षको अन्त्यमा अत्यधिक बजेट खर्च गर्दा प्राविधिक कर्मचारीको अभावमा सुपरिवेक्षणमा अधिक चाप पर्ने, तथा मौसमको प्रतिकूलताका कारण गुणस्तर कायम राख्न समेत असर पुग्ने भएकालेस्वीकृत कार्यक्रम र चौमासिक लक्ष्य अनुसार कार्यक्रम सञ्चालन गरी सन्तुलित खर्च हुने गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ। | |
| १२. | तालिम तथा कार्यशाला गोष्ठी सञ्चालन: गाउँपालिकाले सीप विकास तालिम तथा स्थानिय कार्यशाला गोष्ठी सञ्चालन गर्दा अधिकांशमा प्रशिक्षण वापतको भत्ता, खाना, खाजा, रिचार्ज कार्ड, पानी खरिदको भरपाई रहेता पनि कार्यक्रम पाठ योजना, प्रस्तुत कार्यपत्र विवरण रहेको देखिएन। तालिम सञ्चालनको स्पष्ट कार्ययोजना बिना नै कार्यक्रम सञ्चालन गरेको तथा कार्यक्रमको अधिकांश बजेट कर्मचारी र पदाधिकारी भ्रमण एवं प्रशासनिक खर्च हुने गरेको देखिन्छ। आगामी दिनहरुमा कार्यालयले यस्ता तालिम तथा स्थानिय कार्यशाला गोष्ठी सञ्चालन गर्दा स्पष्ट कार्ययोजना सहित आवश्यकताको पहिचान गरेर सहभागिता यकिन हुने गरी व्यवस्थापन खर्च मितव्ययी हुने ढङ्गले गर्नुपर्ने देखिन्छ। | |

| दफा नं. | भौ.नं., मिति र व्यहोरा | बेरुजू रकम |
|---------|---|------------|
| १३. | मसलन्द सामाग्री खरिद सम्बन्धमा : गाउँपालिकाबाट सञ्चालित अधिकांश कार्यक्रम हरुमा कार्यक्रमका लागि छुट्याएको रकम बाहेक छुट्टै अन्य भौचरबाट समेत सोहि कार्यक्रममा खर्च भएको मसलन्द भनि खर्च लेख्ने गरेको देखियो । कार्यक्रममा तोकिएको खर्च बाहेक पनि खर्च लेख्ने कार्यलाई नियम संगत मान्न सकिदैन । अत आगामी दिनमा कार्यालयले यस प्रकारका खर्च नियन्त्रण सम्बन्धमा विशेष पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ । | |
| १४. | सशर्त अनुदान- संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प.सं.०७४।७५ च.नं.१०६४ मिति २०७५।३।३३ को सशर्त अनुदान रकम फिर्ता सम्बन्धी विषयको पत्रअनुसार विभिन्न तीन किस्तामा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएको र सशर्त अनुदानमा मुख्यतया शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि पशु लगायतबाट प्राप्त भएको रकम आषाढ मसान्तसम्म खर्च हुन नसकेको रकम संघीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकोमा गाउँपालिकामा अनुदानको रकम खर्च भई बाँकी रहेको रु.१४४४६९१५।३४ संघीय सञ्चित कोषमा दाखिला भएको छ । मुक्त हलिया पुनर्स्थापना कार्यक्रम अन्तर्गत प्राप्त रु.१ करोड २३ लाख सशर्त अनुदान निर्धारित कार्यक्रममा खर्च नगरी मूल कोषमा सारेर खर्च जनाएको देखियो । कार्यक्रममा खर्च नभएको रकम केन्द्रिय सञ्चित कोषमा दाखिला हुनुपर्ने रु. | १२३००००० |
| १५. | राजस्व अभिलेख : लेखापरीक्षणको क्रममा गाउँपालिकाले राजस्व आम्दानीको निर्णय, असुली तथा दाखिलासम्मका अभिलेख व्यवस्थित गरी श्रेस्ता राखेको देखिएन । यसबाट गाउँपालिकाको वास्तविक राजस्व असुली र दाखिला यकिन हुन सकेन । गाउँपालिकाले यसमा विशेष ध्यान दिई आन्तरिक आयको उचित अभिलेखाङ्कन तथा परिचालन गर्नुपर्दछ । | |
| १६. | व्यवसाय कर : स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ५८ मा गाउँपालिकाले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र रहेका विभिन्न व्यवसाय गर्ने व्यक्तिबाट व्यवसाय कर उठाउन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७५ ले अनुसूची ४ अनुसार व्यवसाय कर लगाई असुल गर्ने उल्लेख छ । यस गाउँपालिकाको कार्यालयले व्यवसायीहरुको लगत राखी राजस्व असुल गर्नुपर्नेमा व्यवसायीहरुको लगत राखी उक्त लगत अद्यावधिक गरी लगतमा भएका सम्पूर्ण व्यवसायीहरुबाट कर रकम संकलन गरेको पाइएन । गाउँपालिका क्षेत्रभित्रका व्यवसायलाई व्यवसायीको अभिलेख राखी करको दायराभित्र ल्याउनुपर्दछ । | |
| १७. | दैनिक भ्रमण भत्ता भुक्तानी: फिल्डमा खटिने कर्मचारीलाई मासिक फिल्ड भत्ता भुक्तानी दिएको हकमा अन्य कुनै किसिमका भत्ता दिने गरी दोहोरो खर्च लेख्न नपाउने व्यवस्था अर्थ मन्त्रालयको सञ्चालन खर्च निर्देशिकामा व्यवस्था गरेको छ । कार्यालयले प्राविधिक कर्मचारीहरुलाई प्रतिमहिना रु.१००००।- का दरले फिल्ड भत्ता भुक्तानी दिएकोमा श्री गोविन्द भट्टालाई दोहोरो पर्ने गरी दैनिक भ्रमण भत्ता थप भुक्तानी खर्च लेखेकोले दोहोरो भत्ता असुल हुनुपर्ने रु. | १०००० |
| | नियमितताको लेखापरीक्षणबाट देखिएका व्यहोरा देहायबमोजिम छन: | |
| १८. | तलबी प्रतिवेदन : स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोजिम स्थानीय तहअन्तर्गतका कर्मचारीहरुको वार्षिक तलबी प्रतिवेदन आन्तरीक लेखापरीक्षकबाट पारित गराई तलब खर्च लेख्नुपर्नेमा कार्यालयले कर्मचारीको तलबी प्रतिवेदन कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयबाट पारित गरी तलब खर्च लेखेको छ । | |

| दफा नं. | भौ.नं., मिति र व्यहोरा | बेरुजू रकम |
|---------|--|------------|
| १९. | <p>स्थानीय तथ्याङ्क, अभिलेख तथा स्रोत नक्साङ्कन :</p> <p>स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ बमोजिम स्थानीयतहले आफ्नो क्षेत्रभित्रको आधारभूत तथ्याङ्क संकलन, अभिलेख र सोको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने तथा आफ्नो क्षेत्रभित्रको शैक्षिक, भौगोलिक अवस्था, प्राकृतिक स्रोत अन्तर्गत खानी, जंगल तथा अन्य स्रोत, पूर्वाधार अन्तर्गत सडक, पुल, खानेपानीलगायतको अभिलेख तथा स्रोत नक्साङ्कनसहितको गाउँपालिकाको प्रोफाइल तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । गाउँपालिकाले स्थानीय तथ्याङ्क सम्बन्धी नीति, कानून र सोको मापदण्ड बनाएको तथा स्रोत नक्साङ्कन वा गाउँ प्रोफाइल तयार गरेको छ । स्थानीय तहका हरेक प्राथमिकीकरणका क्रियाकलाप सञ्चालनमा गाउँ प्रोफाइललाई आधार लिनुपर्नेमा सोको आधार तथा तथ्याङ्कवेगर प्राथमिकतामा राखिएका योजना, बजेट, प्रक्रिया र कार्यान्वयनले उचित सार्थकता नपाउने हुँदा यस तर्फ गाउँपालिकाले ध्यान दिनुपर्दछ ।</p> | |
| २०. | <p>कर्मचारी व्यवस्था :</p> <p>निजामती सेवा ऐन, २०४९ बमोजिम कर्मचारी पदपूर्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । गाउँपालिकामा रहने कर्मचारी दरबन्दी २० रहेता पनि पदपूर्ति ६ रहेको देखियो । १४ पद रिक्त रहेका छन् । तिमध्ये अधिकृत स्तरका १ र सहायक स्तरका ३ जनासमेत गरी ४ जना करारमा राखी कार्यसञ्चालन गरिएको छ । जनशक्तिको अभावमा गाउँपालिकाको कार्यसम्पादन र सेवाप्रवाहमा समेत असर परेकाले दरबन्दी अनुसार पदपूर्ति गरिनुपर्दछ ।</p> | |
| २१. | <p>आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली :</p> <p>स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७८ बमोजिम आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गरी लागु गर्नुपर्नेमा गरेको छैन । यस सम्बन्धी अन्य व्यहोराहरु तपसिल अनुसार रहेका छन् ।</p> <ul style="list-style-type: none"> ● सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) नियमावली, २०६५ अनुसार नागरिक वडापत्रमा उल्लेखित सेवाहरुको कार्यान्वयन स्थिति अनुगमन गर्न अनुगमन संयन्त्र तर्जुमा गर्नुपर्ने र सार्वजनिक सुनुवाई गर्नुपर्नेमा गरेको छैन । ● जिन्सी निरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार विभिन्न मालसामान मर्मत गर्नुपर्नेमा गरेको छैन । ● मूल्य खुल्ल नसकेका सामानहरुको मूल्य खुलाई राख्नुपर्नेमा केहि सामानहरुको मूल्य खुलाएको छैन । ● मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली, २०५३ को नियम ६क मा ठेक्का सम्भौता र कर भुक्तानीको जानकारी सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयलाई समय मै नदिएको ● स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार चौमासिक खर्च गर्नुपर्नेमा कुल खर्चमध्ये अधिकांश रकम तेश्रो चौमासिकमा खर्च गरेको, ● कार्यालयले उद्देश्य प्राप्तमा आइपर्ने सम्भावित जोखिमहरु पहिचान गरी निराकरणको प्रयास गरेको अभिलेख नराखेको, ● वार्षिक कार्यक्रम अनुसार अनुगमन मूल्याङ्कन प्रतिवेदन दिने नगरेको, ● स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १३ बमोजिम गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रको निर्माण कार्य तथा अन्य सेवाको प्रयोजनको लागि निर्माण सामग्री, ज्याला, भाडा तथा महसुलको स्थानिय न्यूनतम दररेट आर्थिक वर्ष शुरु हुनु भन्दा पन्ध्र दिन अगावै तोकी सक्नु पर्नेमा दररेट तोक्ने नगरेको ● कुनै रकमको भुक्तानी दिँदा रित पुगे नपुगेको जाँच गरी रसिद, बिल, भरपाईहरुमा सिलसिलेवार नम्बर राखी कार्यालय प्रमुखले तोकेको कर्मचारीले “भुक्तानी भएको” जनाउने छाप समेत लगाई दस्तखत गरी प्रमाणित गर्नु पर्नेमा सो अनुसार गरेको छैन । | |

| दफा नं. | भौ.नं., मिति र व्यहोरा | बेरुजू रकम |
|---------|--|------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> कार्यालयले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ६ (क) बमोजिम वस्तु तथा सेवा आपूर्तिको लागि मौजुदा सूची तयार गरिएको पाइएन । यस गाउँपालिकाले ठेक्काहरुको विस्तृत विवरण देखिने गरी ठेक्का खाता र कन्टिजेन्स खाता राखेको छैन । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७४ (२) अनुसार सार्वजनिक खरिद नियमावली बनाई लागु गर्न सक्ने व्यवस्था भएकोमा बनाएको छैन । विभिन्न आयोजनाहरुको लागि निर्माण सामग्री ढुवानी गर्दा ढुवानीको कर बिजक जारी गर्नु पर्नेमा नगरी भर्पाइ मात्र संलग्न गरेको पाइयो । सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ११२ अनुसार रु.१० लाख भन्दा बढिको निर्माण कार्य गराउँदा विमा गराउनु पर्नेमा कुनै पनि ठेक्कामा विमा गराएको छैन । सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ अनुसार यस वर्ष कार्यसम्पन्न भएका आयोजना तथा कार्यक्रमहरु उपभोक्ता समितिलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा गरेको छैन । सार्वजनिक निर्माण कार्यहरुको लागत अनुमान स्वीकृति, कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन आदिमा मिति उल्लेख गरेको छैन भने समयमा स्वीकृतसमेत भएको देखिएन । वार्षिक कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा कार्यक्रमका प्रत्येक क्रियाकलापहरुमा अनुगमन तथा मुल्याङ्कनको लागि एकमुस्त राखी भ्रमण खर्च नियमावली अनुसार खर्च गर्नु पर्नेमा नगरेको खर्च संकेत वर्गिकरण र व्याख्या अनुसार वार्षिक कार्यक्रम तयार गरेर लेखांकन गर्नुपर्नेमा उक्त कार्य नगरेको, कन्टिन्जेन्सी खर्चको अभिलेख रजिष्टर नराखेको, निजामती सेवा ऐन २०४९ बमोजिम कार्य विवरण बनाई लागु नगरेको, कार्यक्रमगत खाता नराखेको कारण कार्यक्रमगत प्रगति यकिन गर्न नसकिएको वातावरण संरक्षणको एकिकृत दिर्घकालीन योजना तयार नगरेको, | |
| २२. | <p>रसिद नियन्त्रण प्रणाली :</p> <p>कार्यालयले रसिद हानी नोक्सानी एवं दुरुपयोग नहोस भन्नका लागि रसिद नियन्त्रण खाता राख्नुपर्नेमा सो खाता राखेको देखिएन । जसले गर्दा गतवर्षको रसिद मौज्दात, यस वर्ष छुपाई गरेको रसिद संख्या, यस वर्षको रसिद प्रयोग स्थिति तथा रसिदको बाँकी रहेको मौज्दातसमेत यकिन हुन सकेन । कार्यालयले रसिद नियन्त्रण खाता राखी सो खातामा आम्दानी र खर्च विवरण व्यवस्थित रूपमा राखी आगामी दिनमा रसिद नियन्त्रण र व्यवस्थापन सम्बन्धमा विशेष ध्यान पुऱ्याउनुपर्ने देखिन्छ ।</p> | |
| २३. | <p>वार्षिक खरिद योजना</p> <p>सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ ले सार्वजनिक निकायले तोकेको सीमाभन्दा बढी रकमको खरिद गर्दा तोकिए बमोजिमको खरिद गुरुयोजना र वार्षिक खरिद योजना तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तै सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ७ ले वार्षिक १० करोडभन्दा बढीको खरिद गर्दा गुरुयोजना तयार गर्नुपर्ने नियम ८ ले वार्षिक १० लाखभन्दा बढीको खरिद गर्दा वार्षिक खरिद योजना बनाउनुपर्ने व्यवस्था छ । यस गाउँपालिकाले विभिन्न शीर्षक अन्तर्गत वार्षिक रु.९८५७१४२५।६९ पूँजीगत खर्च/खरिद निर्माण कार्य गरेको छ । तर गाउँपालिकाले आफ्नो खरिद नियमावली नबनाएको अवस्थामा उक्त ऐन, नियम बमोजिम वार्षिक खरिद योजना र गुरुयोजना नबनाई खरिद कार्य गरेको देखियो । अतः गाउँपालिकाले उक्त नियमावली बमोजिम खरिद योजना/गुरुयोजना बनाई व्यवस्थित र</p> | |

| दफा नं. | भौ.नं., मिति र व्यहोरा | | | | | | बेरुजू रकम | |
|---------|---|---|-------------|-----------|-------------------------------|----------------|------------|--|
| | प्रभावकारी हुने गरी खरिद कार्य गर्नुपर्दछ । | | | | | | | |
| २४. | <p>सवारी साधन खरिदको विवरण : गाउँपालिकाले यस वर्ष सर्वसाधारणको सुविधाको लागि सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न २ वटा N.S. Hard Top Jeep खरिद गरेका छ । यसबापत सिप्रदी ट्रेडिङ, काठमाडौँलाई रु.६८६००००/- भुक्तानी दिएको छ । गाउँपालिकामा भएका सवारी साधन सम्बन्धी विवरण देहायवमोजिम छः</p> | | | | | | | |
| | क्र. सं. | सवारी साधन | खरिद संख्या | मूल्य | प्रयोग गर्ने पदाधिकारी संस्था | कैफियत | | |
| | १ | जीप | २ | ६८६००००/- | सार्वजनिक प्रयोग | ०७५/७६ मा खरिद | | |
| | २ | जे.सि.वि. | १ | ४३९९९९९/- | | | | |
| | ३ | मोटरसाइकल | ८ | १७३१०६६/- | कर्मचारी | | | |
| | ४ | ट्र्याक्टर | १ | १४०००००/- | | | | |
| | ५ | जिप | १ | ३७९००००/- | पदाधिकारी | | | |
| | ६ | एम्बुलेन्स | १ | ११०००००/- | | | | |
| | ७ | ट्रली ट्र्याक्टर | १ | ३१५००००/- | | | | |
| २५. | <p>सेवाप्रवाहको स्थिति : स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा व्यवस्था भए अनुसार गाउँपालिकाले नियमानुसार जनतालाई सेवा सुविधा दिनुपर्दछ । यस वर्ष गाउँपालिकाबाट निम्नअनुसार सेवाप्रवाह गरेको विवरण प्राप्त भएको छ :</p> | | | | | | | |
| | सि.नं. | विवरण | | | | जम्मा | | |
| | १ | स्वीकृत घर नक्सादर्ता पास (पुरानो ... तथा नयाँ ...) | | | | उपलब्ध नभएको | | |
| | २ | अस्थायी इजाजत प्रदान Lower Tie Bim Level | | | | " | | |
| | ३ | स्थायी इजाजत प्रदान DPC Level 2074/75 | | | | " | | |
| | ४ | निर्माण सम्पन्न सिफारिस (पुरानो तथा नयाँ) | | | | " | | |
| | ५ | निर्माण सम्पन्न हुन बाँकी | | | | " | | |
| | ६ | नक्सा पास नभएका पुराना घरहरुको अभिलेखीकरण | | | | " | | |
| | | पञ्जिकरण तर्फ | | | | | | |
| | ७ | जन्मदर्ता | | | | ९९६९९९ | | |
| | ८ | मृत्यु दर्ता | | | | | | |
| | ९ | बसाईसराई दर्ता | | | | | २३३३९९ | |
| | १० | विवाहदर्ता | | | | | | |
| | ११ | सम्बन्ध विच्छेद दर्ता | | | | - | | |
| | | अन्य सिफारिस | | | | - | | |
| | १२ | घरबाटो सिफारिस | | | | ६२५ | | |
| | १३ | नागरिकता सिफारिस | | | | ५०० | | |
| | १४ | नाता प्रमाणित | | | | २५० | | |
| | | पूर्वाधार विकास सडक निर्माण | | | | | | |
| | १५ | कालोपत्रे सडक निर्माण | | | | उपलब्ध नभएको | | |
| | १६ | कालोपत्रे सडक मर्मत | | | | " | | |
| | १७ | ग्राभेल सडक निर्माण | | | | " | | |
| | १८ | ग्राभेल सडक मर्मत | | | | " | | |

| दफा नं. | भौ.नं., मिति र व्यहोरा | बेरुजू रकम | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|------------|-------------|----|--------------------------------------|----|--|----|--|----|--|----|---|----|---|----|---|----|--|----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|------------------------------------|-----|--|-----|--|-----|--|-----|---|-----|---|-----|---|--|
| | स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार गाउँपालिकाबाट प्रदान गरिने सेवाप्रवाहमध्ये पञ्जिकरण बाहेकका अन्य सेवा सञ्चालनमा आएको देखिएन । सिफारिस लगायतका अत्यावश्यक सेवा समेत दिन नसकेको गाउँपालिको सेवाप्रवाहको स्थितिमा सुधार हुनु पर्दछ । | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २६. | <p>कानून निर्माण र कार्यान्वयन : स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनुसार स्थानीय तहले आफ्नो अधिकारक्षेत्र भित्रका विषयमा ऐन बनाउन तथा सोको अधिनमा रही आवश्यकता अनुसार नियम, निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्ड बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्ने व्यवस्था छ । यस वर्ष गाउँपालिकाले तर्जुमा गरेका निम्न कानूनहरु राजपत्रमा प्रकाशित भई कार्यान्वयनमा आएका छन् :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>सि.नं.</th> <th>कानूनको नाम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>१.</td><td>अजयमेरु गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७५</td></tr> <tr><td>२.</td><td>अजयमेरु गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७५</td></tr> <tr><td>३.</td><td>अजयमेरु गाउँपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका, २०७४</td></tr> <tr><td>४.</td><td>अजयमेरु गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता, २०७४</td></tr> <tr><td>५.</td><td>गाउँ कार्यपालिकाको बैठक सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७४</td></tr> <tr><td>६.</td><td>अजयमेरु गाउँपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून, २०७४</td></tr> <tr><td>७.</td><td>स्वयंसेवक शिक्षक भर्ना सम्बन्धी मापदण्ड तथा कार्यविधि, २०७५</td></tr> <tr><td>८.</td><td>गाउँकार्यपालिका (कार्यविभाजन) नियमावली, २०७४</td></tr> <tr><td>९.</td><td>न्यायीक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५</td></tr> <tr><td>१०.</td><td>अजयमेरु गाउँपालिकाको पूर्वाधार व्यवस्थापन ऐन, २०७५</td></tr> <tr><td>११.</td><td>अजयमेरु गाउँपालिकाको स्वास्थ्य तथा सरसफाई ऐन, २०७५</td></tr> <tr><td>१२.</td><td>अजयमेरु गाउँपालिकाको स्थानीय सेवा ऐन, २०७५</td></tr> <tr><td>१३.</td><td>अजयमेरु गाउँपालिकाको गैरसरकारी संस्था समन्वय सम्बन्धी ऐन, २०७५</td></tr> <tr><td>१४.</td><td>शिक्षासम्बन्धी अति आवश्यकीय कार्य सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७४</td></tr> <tr><td>१५.</td><td>अजयमेरु गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन, २०७४</td></tr> <tr><td>१६.</td><td>अजयमेरु गाउँपालिका सहकारी ऐन, २०७४</td></tr> <tr><td>१७.</td><td>अजयमेरु गाउँपालिका आयोजना व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७४</td></tr> <tr><td>१८.</td><td>अजयमेरु गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिका (कार्यविभाजन) नियमावली, २०७४</td></tr> <tr><td>१९.</td><td>अजयमेरु गाउँपालिका घ वग निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र कार्यविधि, २०७४</td></tr> <tr><td>२०.</td><td>अजयमेरु गाउँपालिकाको कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐन, २०७४</td></tr> <tr><td>२१.</td><td>अजयमेरु गाउँपालिका एफ.एम. रेडियो व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७४</td></tr> <tr><td>२२.</td><td>स्थानीय राजपत्र प्रकाशनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७४</td></tr> </tbody> </table> | सि.नं. | कानूनको नाम | १. | अजयमेरु गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७५ | २. | अजयमेरु गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७५ | ३. | अजयमेरु गाउँपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका, २०७४ | ४. | अजयमेरु गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता, २०७४ | ५. | गाउँ कार्यपालिकाको बैठक सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ | ६. | अजयमेरु गाउँपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून, २०७४ | ७. | स्वयंसेवक शिक्षक भर्ना सम्बन्धी मापदण्ड तथा कार्यविधि, २०७५ | ८. | गाउँकार्यपालिका (कार्यविभाजन) नियमावली, २०७४ | ९. | न्यायीक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५ | १०. | अजयमेरु गाउँपालिकाको पूर्वाधार व्यवस्थापन ऐन, २०७५ | ११. | अजयमेरु गाउँपालिकाको स्वास्थ्य तथा सरसफाई ऐन, २०७५ | १२. | अजयमेरु गाउँपालिकाको स्थानीय सेवा ऐन, २०७५ | १३. | अजयमेरु गाउँपालिकाको गैरसरकारी संस्था समन्वय सम्बन्धी ऐन, २०७५ | १४. | शिक्षासम्बन्धी अति आवश्यकीय कार्य सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७४ | १५. | अजयमेरु गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन, २०७४ | १६. | अजयमेरु गाउँपालिका सहकारी ऐन, २०७४ | १७. | अजयमेरु गाउँपालिका आयोजना व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७४ | १८. | अजयमेरु गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिका (कार्यविभाजन) नियमावली, २०७४ | १९. | अजयमेरु गाउँपालिका घ वग निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र कार्यविधि, २०७४ | २०. | अजयमेरु गाउँपालिकाको कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐन, २०७४ | २१. | अजयमेरु गाउँपालिका एफ.एम. रेडियो व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७४ | २२. | स्थानीय राजपत्र प्रकाशनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ | |
| सि.नं. | कानूनको नाम | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १. | अजयमेरु गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७५ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २. | अजयमेरु गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७५ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ३. | अजयमेरु गाउँपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका, २०७४ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ४. | अजयमेरु गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता, २०७४ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ५. | गाउँ कार्यपालिकाको बैठक सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ६. | अजयमेरु गाउँपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून, २०७४ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ७. | स्वयंसेवक शिक्षक भर्ना सम्बन्धी मापदण्ड तथा कार्यविधि, २०७५ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ८. | गाउँकार्यपालिका (कार्यविभाजन) नियमावली, २०७४ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ९. | न्यायीक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १०. | अजयमेरु गाउँपालिकाको पूर्वाधार व्यवस्थापन ऐन, २०७५ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ११. | अजयमेरु गाउँपालिकाको स्वास्थ्य तथा सरसफाई ऐन, २०७५ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १२. | अजयमेरु गाउँपालिकाको स्थानीय सेवा ऐन, २०७५ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १३. | अजयमेरु गाउँपालिकाको गैरसरकारी संस्था समन्वय सम्बन्धी ऐन, २०७५ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १४. | शिक्षासम्बन्धी अति आवश्यकीय कार्य सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७४ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १५. | अजयमेरु गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन, २०७४ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १६. | अजयमेरु गाउँपालिका सहकारी ऐन, २०७४ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १७. | अजयमेरु गाउँपालिका आयोजना व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७४ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १८. | अजयमेरु गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिका (कार्यविभाजन) नियमावली, २०७४ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १९. | अजयमेरु गाउँपालिका घ वग निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र कार्यविधि, २०७४ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २०. | अजयमेरु गाउँपालिकाको कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐन, २०७४ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २१. | अजयमेरु गाउँपालिका एफ.एम. रेडियो व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७४ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २२. | स्थानीय राजपत्र प्रकाशनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २७. | <p>कल्याण कोष : स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ९१ मा स्थानीय तहले स्थानीय सेवाका कर्मचारीले निजको सेवाशर्त तथा कानून बमोजिम अवकास हुँदा प्राप्त गर्ने योगदानमा आधारित उपदान, औषधि उपचार लगायतका सुविधा उपलब्ध गराउन अवकास कोषको स्थापना गर्ने र उक्त कोषमा स्थानीय तहले आफ्नो दरबन्दीमा कार्यरत प्रत्येक कर्मचारीले खाईपाई आएको मासिक तलबबाट १० प्रतिशत रकम कट्टा गरी सो बराबर हुन आउने रकम थप गरी जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । गाउँपालिकाले यो वर्ष कल्याणकोषमा एकमुष्ट रुपमा रु.४ लाख रकम जम्मा गरेको देखियो । ऐनमा भएको व्यवस्था पालना</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| दफा नं. | भौ.नं., मिति र व्यहोरा | बेरुजू रकम | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------|----------|-------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|-------|----|--------------|----------|----------|-----------|-----------|------------|---------|----|----------------------------|--|---------|--|--|--|---------|-------|--|--|--|--|--|--|-----------|--|
| | गरिनुपर्दछ । | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २८. | <p>न्यायिक समिति : स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ मा न्यायिक समितिको व्यवस्था रहेको छ । गाउँपालिकाले ३ सदस्य रहेको न्यायिक समिति गठन गरेको छ । न्यायिक समितिसमक्ष आ.व.०७५/७६ मा ६ वटा मुद्दाका फिराद दर्ता हुन आएकोमा समितिले ६ वटै मुद्दा मिलापत्रको माध्यमबाट फछ्चौट गरेको देखिन्छ । समितिले गाउँपालिकाको वडागत रुपमा परेका विवाद दर्ता अभिलेख राखेको देखिएन । सूक्ष्म ढंगबाट विवादको विषयवस्तुको विश्लेषण गरी विवाद न्यूनीकरणलाई सहयोग पुऱ्याउने सम्बन्धी कार्यक्रमको सञ्चालन गर्नुपर्ने, त्यसैगरी गाउँपालिकाले न्यायिक समितिको क्रियाशीलता र प्रभावकारिता बढाउनुपर्ने हुँदा न्यायिक समितिलाई विवाद समाधानमा जिम्मेवार र जवाफदेही तुल्याई सर्वसाधारणलाई कम खर्चिलो, सरल र छरितो न्याय प्रदान गर्न गाउँपालिकाले विशेष ध्यान दिनुपर्दछ ।</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २९. | <p>स्थानीय तहका पदाधिकारी सुविधा : नेपालको संविधानको धारा २२७ मा गाँउ सभा तथा नगरसभाका सदस्यले पाउने सुविधाका सम्बन्धमा प्रदेश कानूनबमोजिम हुने व्यवस्था अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सुविधा सम्बन्धी ऐन,२०७५ जारी गरेको छ । उक्त ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार गाउँपालिकाबाट देहायबमोजिम रु.३७६५३८०/- सुविधा वापत भुक्तानी भएको छ ।</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>सि. नं.</th> <th>विवरण</th> <th>प्रमुख/अध्यक्ष</th> <th>उपप्रमुख</th> <th>वडा अध्यक्ष ६ जना</th> <th>कार्यपालिका सदस्य ६ जना</th> <th>सभाका सदस्य १९ जना</th> <th>जम्मा</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१.</td> <td>मासिक सुविधा</td> <td>३६००००/-</td> <td>३०००००/-</td> <td>१४४००००/-</td> <td>५०४००००/-</td> <td>११४०००००/-</td> <td>३७४४०००</td> </tr> <tr> <td>२.</td> <td>सञ्चार सुविधा (मासिक दरमा)</td> <td></td> <td>२१३८०/-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>२१३८०/-</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: center;">जम्मा</td> <td>३७६५३८०/-</td> </tr> </tbody> </table> | सि. नं. | विवरण | प्रमुख/अध्यक्ष | उपप्रमुख | वडा अध्यक्ष ६ जना | कार्यपालिका सदस्य ६ जना | सभाका सदस्य १९ जना | जम्मा | १. | मासिक सुविधा | ३६००००/- | ३०००००/- | १४४००००/- | ५०४००००/- | ११४०००००/- | ३७४४००० | २. | सञ्चार सुविधा (मासिक दरमा) | | २१३८०/- | | | | २१३८०/- | जम्मा | | | | | | | ३७६५३८०/- | |
| सि. नं. | विवरण | प्रमुख/अध्यक्ष | उपप्रमुख | वडा अध्यक्ष ६ जना | कार्यपालिका सदस्य ६ जना | सभाका सदस्य १९ जना | जम्मा | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १. | मासिक सुविधा | ३६००००/- | ३०००००/- | १४४००००/- | ५०४००००/- | ११४०००००/- | ३७४४००० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २. | सञ्चार सुविधा (मासिक दरमा) | | २१३८०/- | | | | २१३८०/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| जम्मा | | | | | | | ३७६५३८०/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ३०. | <p>पदाधिकारी अन्य सुविधा: सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधाको सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा १२ मा ऐनले निर्धारण गरेको सुविधा बाहेक अन्य सुविधा लिन नपाइने व्यवस्था छ । गाउँपालिकाले ऐनले तोकेको सुविधाबाहेक बैठक भत्ता रु.३८५४५०/-, अनुगमन भत्तावापत रु.५१०४६० तथा पोशाक भत्तावापत रु.३३००००/- सहित जम्मा रु.८७९५९०/- सुविधा खर्च लेखेको देखियो । यसरी ऐनमा व्यवस्था नभई लिएको उक्त रकम नियम सँगत नदेखिएको रु.</p> | १२२५९९०/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ३१. | <p>आर्थिक सहायता: उद्धार तथा राहत कार्यक्रममा वडागत सिफारिसका आधारमा जोखिममा परेका व्यक्तिहरूलाई रु.१०००००/- नगद बाँडेको देखियो । गाउँपालिकाले वडागत सिफारिस मात्रको आधारमा बाँडिएको उक्त रकम भैपरि आउने सहायता खर्च कै रुपमा निजहरूलाई दिएको पाइयो । यस्तो सहायता खर्च दिने सम्बन्धमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा व्यवस्था नभएको देखिँदा खर्च रकम अनियमित देखिएको रु कार्यविधि स्वीकृत गरी रु.५००००/- सम्मको आर्थिक सहायता अध्यक्षले निर्णय गर्नसक्ने, सोभन्दा बढीको रकम गाउँ कार्यपालिकाको बैठकले निर्णय गरेबमोजिम आर्थिक सहायता, चन्दा पुरस्कार दिने व्यवस्था तोकेअनुसार दिएको कार्यालयको भनाई रहेको छ ।</p> | १०००००/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>कार्यक्रम तथा योजनागत खर्चको लेखापरीक्षणबाट देखिएका व्यहोरा देहायबमोजिम छन्:</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| दफा नं. | भौ.नं., मिति र व्यहोरा | बेरुजू रकम | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|---|---------------------------|------|----|------|------|------|---|---------------------------|---|------|------|------|-----|---|---------------------------|---|----|-------|-------|----|---|---------------------------------------|--------|-------|-------|-------|----|---|-----------------------------------|------|---|------|------|-----|---|-----------------------|---|----|------|------|-------|-------|--|--|------|-------|-------|-------|--|
| ३२. | <p>योजना र कार्यान्वयन: स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २४ बमोजिम स्थानीय तहले योजना बनाउँदा सहभागितमूलक, उत्पादनमूलक र प्रतिफलप्राप्त योजना छनौट गरी प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। साथै योजना बनाउँदा मध्यम तथा दिर्घकालीन प्रकृतिका आयोजनाहरूको सूचीसमेत तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ। सो अनुसार दिर्घकालीन प्रकृतिका आयोजनाहरूको सूची तयार गरेको पाईएन। योजना तयारी सम्बन्धी उक्त व्यवस्थाको पालना गरिनु पर्दछ।</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ३३. | <p>लक्ष्य प्रगतिको स्थिति: गाउँपालिकाको सभाले स्वीकृत गरेका योजना तथा कार्यक्रमको चौमासिक प्रगति विवरण तयार गरी पेश गर्नुपर्दछ। कार्यपालिकाले यो वर्ष सञ्चालन गरेका क्षेत्रगत कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति देखिने गरी वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन तयार गरी त्यसको वार्षिक प्रगति स्थितिको समिक्षा हुनुपर्दछ। कार्यालयले पेश गरेको लक्ष्य प्रगति यस प्रकार रहेको छ।</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>सि.नं.</th> <th>कार्यक्रम</th> <th>इकाई</th> <th>जम्मा</th> <th>बजेट (रु. हजारमा)</th> <th>खर्च (रु. हजारमा)</th> <th>भौतिक प्रगति</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१</td> <td>ग्रामिण खानेपानी तथा स.स.</td> <td>गोटा</td> <td>३१</td> <td>८०९६</td> <td>७५६५</td> <td>९३.४</td> </tr> <tr> <td>२</td> <td>साना सिंचाई नदि नियन्त्रण</td> <td>"</td> <td>११०२</td> <td>३२२४</td> <td>३२२४</td> <td>१००</td> </tr> <tr> <td>३</td> <td>प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम</td> <td>"</td> <td>३६</td> <td>१४४२४</td> <td>१४०७०</td> <td>९७</td> </tr> <tr> <td>४</td> <td>स्थानीय पूर्वाधार क्षेत्रगत कार्यक्रम</td> <td>कि.मि.</td> <td>३६.९१</td> <td>२४२६८</td> <td>२२१७५</td> <td>९१</td> </tr> <tr> <td>५</td> <td>पूर्वाधार पुल क्षेत्रगत कार्यक्रम</td> <td>गोटा</td> <td>१</td> <td>१८४२</td> <td>१८४२</td> <td>१००</td> </tr> <tr> <td>६</td> <td>भवन निर्माण कार्यक्रम</td> <td>"</td> <td>१५</td> <td>७४१९</td> <td>६२१९</td> <td>८३.८२</td> </tr> <tr> <td colspan="3">जम्मा</td> <td>११८५</td> <td>५९२७५</td> <td>५५०९६</td> <td>९२.५१</td> </tr> </tbody> </table> <p>उपरोक्त प्रगति विवरणका आधारमा गाउँपालिकाले ११८५ वटा योजना सञ्चालन गरी तेस्रो चौमासिकमा रु.५ करोड ५० लाख ९६ हजार बजेट खर्च गरेर ९२.५ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको देखिन्छ। स्वीकृत चौमासिक कार्यक्रम अनुसार बजेट खर्च गरी प्रगति हासिल गर्नुपर्दछ।</p> | सि.नं. | कार्यक्रम | इकाई | जम्मा | बजेट (रु. हजारमा) | खर्च (रु. हजारमा) | भौतिक प्रगति | १ | ग्रामिण खानेपानी तथा स.स. | गोटा | ३१ | ८०९६ | ७५६५ | ९३.४ | २ | साना सिंचाई नदि नियन्त्रण | " | ११०२ | ३२२४ | ३२२४ | १०० | ३ | प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम | " | ३६ | १४४२४ | १४०७० | ९७ | ४ | स्थानीय पूर्वाधार क्षेत्रगत कार्यक्रम | कि.मि. | ३६.९१ | २४२६८ | २२१७५ | ९१ | ५ | पूर्वाधार पुल क्षेत्रगत कार्यक्रम | गोटा | १ | १८४२ | १८४२ | १०० | ६ | भवन निर्माण कार्यक्रम | " | १५ | ७४१९ | ६२१९ | ८३.८२ | जम्मा | | | ११८५ | ५९२७५ | ५५०९६ | ९२.५१ | |
| सि.नं. | कार्यक्रम | इकाई | जम्मा | बजेट (रु. हजारमा) | खर्च (रु. हजारमा) | भौतिक प्रगति | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १ | ग्रामिण खानेपानी तथा स.स. | गोटा | ३१ | ८०९६ | ७५६५ | ९३.४ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २ | साना सिंचाई नदि नियन्त्रण | " | ११०२ | ३२२४ | ३२२४ | १०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ३ | प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम | " | ३६ | १४४२४ | १४०७० | ९७ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ४ | स्थानीय पूर्वाधार क्षेत्रगत कार्यक्रम | कि.मि. | ३६.९१ | २४२६८ | २२१७५ | ९१ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ५ | पूर्वाधार पुल क्षेत्रगत कार्यक्रम | गोटा | १ | १८४२ | १८४२ | १०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ६ | भवन निर्माण कार्यक्रम | " | १५ | ७४१९ | ६२१९ | ८३.८२ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| जम्मा | | | ११८५ | ५९२७५ | ५५०९६ | ९२.५१ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ३४. | <p>प्राविधिक बिल र कार्य सम्पन्न: सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १२३(१) मा खरिद सम्भौता अनुसार सार्वजनिक निकायले रनिड बिल वा अन्य कुनै बिल विजकको भुक्तानी गर्दा प्राविधिक नापजाँच गरी नापी कितावमा उल्लेख भएको वास्तविक कार्यसम्पादनको आधारमा भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। उपभोक्ता समितिहरूबाट सञ्चालित योजनाको ठेक्का बिलहरूमा लागत अनुमान र वास्तविक कामको मूल्याङ्कनमा बराबर परिमाण र रकम उल्लेख भएको देखिन्छ। लागत अनुमान बराबर नै मूल्याङ्कन भएको देखिएकाले वास्तविक काम कति भएको हो भन्ने सम्बन्धमा आश्वस्त हुन सक्ने अवस्था देखिएन। प्राविधिकले पेश गर्ने कार्य सम्पन्न प्रतिवेदनमा कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति र कार्य सम्पन्न भएको मिति लगायतका इन्जिनियरिड नर्स अनुसार बिलमा खुलाउनुपर्ने तथ्याङ्क उल्लेख गरेको पाईएन। यसले गर्दा कुन काम कहिले सम्पन्न गर्नुपर्ने र तोकिएको अवधिमा सम्पन्न भए/नभएको विषयमा यकिन हुन नसकिएको हुँदा प्राविधिकले इन्जिनियरिड नर्स अनुसारको उपभोक्ता समितिको बिल बनाउँदा नापजाँचलाई वास्तविक कार्यसम्पादनमा आधारित बनाउनुपर्दछ।</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ३५. | <p>सभाको निर्णय कार्यान्वयन- मिति २०७५।३।३ मा सम्पन्न गाउँपालिकाबाट पारित विभिन्न क्षेत्रगत ६ वटा कार्यक्रम तथा अन्तर्गतका १७१ वटा सहायक कार्यक्रमसमेतको कार्यान्वयनको स्थिति सहितको सभाको निर्णय र प्रतिवेदन माग गरिएकोमा उपलब्ध हुन सकेन। अतः सभाको निर्णय कार्यान्वयन स्थिति प्रतिवेदन तयार गरी वर्षान्तमा समिक्षा गर्नुपर्दछ।</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ३६. | <p>उपभोक्ता समिति छनौट - सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ मा एक करोड सम्मको लागत अनुमान भएको</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| दफा नं. | भौ.नं., मिति र व्यहोरा | बेरुजू रकम |
|---------|--|------------|
| | निर्माण कार्य वा सो सम्बन्धी सेवा उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायबाट गराउन सक्ने र यसका लागि सम्बन्धित काम र सेवाको प्रकृति, परिमाण, लाग्ने रकम, उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायको व्यहोर्ने वा व्यहोर्नुपर्ने रकम र अन्य आवश्यक कुराहरु खुलाई सार्वजनिक निकायले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी प्रस्ताव माग गर्न वा त्यस्तो समिति वा समुदाय आफैले प्रस्ताव वा निवेदन पेश गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । तर कार्यालयले यस वर्ष उपभोक्ता समितिबाट कार्य गराउँदा सम्झौताबाहेक सम्झौतापूर्वका उक्त प्रकृत्या पालना गरेको कुनै कागजात तथा आधार पेश हुन आएन । यसबाट विकास निर्माण कार्यमा उपभोक्ता समिति छनौटको आधार पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक तवरले भएको देखिएन । यसबाट निर्माण कार्यको समय, लागत र गुणस्तरमा असर पर्ने हुँदा उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समूह छनौट गर्दा उक्त नियमावलीको व्यवस्था पालना गरी पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक तवरले गरिनुपर्दछ । | |
| ३७. | खर्च अनुमोदन- सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७(६) बमोजिम उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायले हरेक किस्ताको कामको प्राविधिक मूल्याङ्कन, बिल भरपाई र खर्च प्रमाणित गर्ने कागजात त्यस्तो समिति वा समुदायको बैठकबाट अनुमोदन गराई सम्बन्धित सार्वजनिक निकायमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कार्यालयबाट सञ्चालित योजनाहरु उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालन भएका र बिल भुक्तानीको लागि प्राविधिक मूल्याङ्कन पेश गर्ने गरेको भएता पनि अन्य बिल भरपाई र खर्च प्रमाणित गर्ने कागजातहरु समितिको पूर्ण बैठकबाट खर्च अनुमोदन गरेको प्रमाण र सार्वजनिक तथा सामाजिक लेखापरीक्षण गरी सोको प्रमाण पेश गर्ने गरेको छैन । कार्यालयले समेत अनुगमन समितिको खाली प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गरेको आधारमा खर्चको सुनिश्चितता यकिन गरी भुक्तानीको लागि पेश गर्ने गरेको अवस्था देखिन्छ । नियमको प्रावधानबमोजिम कागजात पेश गर्न लगाई खर्च थप पारदर्शी एवं यथार्थपरक बनाउनेतर्फ कार्यालयले ध्यान दिनुपर्दछ । | |
| ३८. | योजना हस्तान्तरण: निर्माण कार्य सम्पन्न भएपछि सार्वजनिक निकायले सोको रेखदेख, मर्मत सम्भार गर्ने जिम्मेवारीसमेत तोकी योजनाको स्वामित्व उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायलाई नै हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा कार्यालयबाट सञ्चालित वार्षिक विनियोजन भएका योजनाहरु उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालन भएका सम्झौता अनुसारको कार्यको मात्र कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन बनाई वार्षिक कार्यक्रम अनुसारको योजना सम्पन्न भएको यकिन गर्ने प्राविधिकहरुको प्रवृत्तिका कारण योजना पूर्ण रुपमा सम्पन्न हुने स्थिति नरहेको देखियो । योजनाहरु सम्पन्न भैसकेपश्चात समितिलाई नै हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा विगत वर्षदेखि सञ्चालन गरिएका कुनैपनि योजना सम्बन्धित समुदायलाई मर्मत सम्भारको जिम्मेवारीसमेतको हस्तान्तरण गर्ने गरेको छैन । समयमा नै निर्माण कार्य सम्पन्न गरी आयोजनाहरुको स्वामित्व उपभोक्ता समिति मै रहने गरी हस्तान्तरण गर्ने कार्यमा सम्बन्धित निकायको ध्यान जानुपर्दछ । | |
| ३९. | सार्वजनिक तथा सामाजिक परीक्षण: स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ बमोजिम स्थानीय तहले सार्वजनिक सेवाप्रवाहलाई प्रभावकारी, दिगो र भरपर्दो बनाउन कार्यक्रमको सामाजिक परीक्षण अन्तर्गत सार्वजनिक परीक्षण र सार्वजनिक सुनुवाई गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । गाउँपालिकाबाट वार्षिक सम्पन्न योजनाहरु कार्यालयको सेवाप्रवाह सम्बन्धमा सार्वजनिक सुनुवाई तथा सामाजिक परीक्षण भए गरेको पाईएन । ऐनले तोकेअनुसार कार्यान्वयन भएका योजनागत विकास निर्माणका कार्यको सार्वजनिक एवं सामाजिक परीक्षण गर्ने व्यवस्था सुरु गर्नुपर्ने देखिन्छ । | |
| ४०. | गुणस्तर परीक्षण: सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ११५(१) अनुसार सार्वजनिक निकायले आपूर्ति गरेका मालसामान सम्झौतामा उल्लेखित प्राविधिक स्पेसिफिकेसन र गुणस्तर बमोजिम भए नभएको | |

| दफा नं. | भौ.नं., मिति र व्यहोरा | बेरजू रकम | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|----------------|-------------------------------------|-----------------------------|--------|----------------|-----|----------------------|--------|--|
| | निरीक्षण वा परीक्षण गर्नु गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । कार्यालयबाट खरिद गरिएका यन्त्र उपकरण, ल्यापटप लगायत सवारी साधनको भुक्तानी गर्दा सामानको गुणस्तर परीक्षण गरेको छैन । अतः खरिद भएको निर्माण सामग्री लगायतका यन्त्र औजार लगायतका सामानहरूको गुणस्तर सम्बन्धमा सुनिश्चित गरिनुपर्दछ । | | | | | | | | | | | | | |
| ४१. | <p>कन्टिन्जेन्सी खर्चको अभिलेख-</p> <p>सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १०(७) अनुसार लागत अनुमान तयार गर्दा लागत अनुमानको ५ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी कन्टिन्जेन्सी खर्च समावेश गर्न सकिने र नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयको मिति २०७०।१।१५ को निर्णयअनुसार खर्च गर्दा पूँजीगत प्रकृतिको २ प्रतिशत र अन्य सानातिना खर्च ३ प्रतिशतभन्दा नबढ्ने गरी खर्च गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । कार्यालयबाट योजना कार्यान्वयन गर्ने क्रममा प्रत्येक कार्यक्रम खर्चबाट ४ प्रतिशतका दरले बिलबाट यस्तो रकम कट्टीगरी २८ लाख ४८ हजार ५७० रुपैयाँ खातामा दाखिला गरेकोमा दैनिक भ्रमण भत्ता, अनुगमन, फिल्ड भत्ता, लोडर अपरेटरलाई भत्ता, विभिन्न खर्च भएर जाने स्टेशनरी लगायतका सामग्री खरिदमा रु.२८ लाख ५ हजार ८४९ खर्च गरी रु.४२७२९।- मौज्जात रहेको पाइयो । पूँजीगत खर्चमा अत्यन्तै न्यून बजेट खर्च गरेको, योजनागत कन्टिन्जेन्सी खाता नराखी योजनाको भुक्तानीमा कट्टी गरी सँगसँगै खर्च गर्ने गरेको हुँदा पूँजीगत प्रकृतिका खर्चमा नियमावलीले तोकेअनुसार अनिवार्य खर्च गर्नुपर्दछ ।</p> | | | | | | | | | | | | | |
| वित्तिय समानिकरण (पूँजीगत) | | | | | | | | | | | | | | |
| ४२. | <p>अनुगमन:</p> <p>स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ दफा ९२(४)अनुसार स्थानीय पूर्वाधार विकास साभेदारी कार्यक्रमहरू सम्पन्न भएपछि अनिवार्य अनुगमन गरी निर्माणमा भए गरेको स्थिती एवं सुधारसहितको सुझाव दिनुपर्ने व्यवस्था छ । सो अनुसार गाउँपालिकाबाट सम्पन्न भएका सडक लगायतका पूर्वाधारका कार्यक्रमको अनुगमन गरिएको तर प्रतिवेदनमा अनिवार्य खुलाउनु पर्ने कामको परिमाण,गुणस्तर लगायतका विषयहरू उल्लेख नगरी केवल हस्ताक्षर मात्र गरी प्रतिवेदन दिने गरेको देखियो । ऐनको व्यवस्था अनुसार रु ५ लाख भन्दा माथी बजेट खर्च भएका योजनाको विधिवत गठित समितिले अनिवार्य कार्य सम्पन्न भएपश्चात विस्तृत अनुगमन गरी यकिन काम भएको परिमाणको भुक्तानी सिफारिसको आधारमा कार्यालयले भुक्तानी दिने व्यवस्था परिपालना हुन सकेको देखिएन । योजनाको अन्तिम भुक्तानी हुनु अगाडी अनुसूचीमा तोकिएको ढाँचामा अनिवार्य अनुगमन प्रतिवेदन अद्यावधिक गरी समितिको सिफारिसका आधारमा भुक्तानी हुनु पर्दछ ।</p> | | | | | | | | | | | | | |
| ४३. | <p>सर्भे खर्च : सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ८ ख(२) मा खरिद गर्दा प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी टुक्रा पारी खरिद गर्न नहुने व्यवस्था छ । यसैगरी सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ७२(१) मा विस लाख रुपैयाभन्दा कम रकमको परामर्श सेवा मौजुदा सूचीमा रहेका परामर्शदाताबाट लिखित रुपमा प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव माग गरी खरिद गर्न सकिने र गुणस्तर र लागत विधि अनुसार प्रस्ताव मुल्याङ्कन गरी परामर्शदाता छनौट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कार्यालयले निम्न ४ वटा सब प्रोजेक्टको Detail Engineering Suvery, Design and cost Estimate तयारीवापत परामर्शदातालाई रु.१२३००३३- भुक्तानी गरेकोमा एउटै प्रकृतिको कामलाई टुक्रा टुक्रा गरि रु.२० लाख ननाघ्ने गरी सोभै परामर्शदाता नियुक्त गरेको देखियो । यसैगरी ति परामर्शदाताले तयार गरेको सर्वे डिजाइन र लागत अनुमानको प्रतिवेदन तोकिएको गुणस्तरको भए नभएको सम्बन्धमा परीक्षण तथा मूल्याङ्कन गरेको देखिएन।</p> <table border="1" data-bbox="259 1680 1218 1890"> <thead> <tr> <th>गो.भौ. नं. र मिति</th> <th>परामर्शदाताको नाम</th> <th>परामर्शको विषय</th> <th>भुक्तानी रकम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>२२१, २०७६/३/२९</td> <td>आइडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड प्लानर</td> <td>भागेश्वर मन्दिरको गुरुयोजना</td> <td>२८९०००</td> </tr> <tr> <td>२२९, २०७६/३/२९</td> <td>" "</td> <td>अजयमेरुकोट गुरुयोजना</td> <td>३९७३४५</td> </tr> </tbody> </table> | गो.भौ. नं. र मिति | परामर्शदाताको नाम | परामर्शको विषय | भुक्तानी रकम | २२१, २०७६/३/२९ | आइडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड प्लानर | भागेश्वर मन्दिरको गुरुयोजना | २८९००० | २२९, २०७६/३/२९ | " " | अजयमेरुकोट गुरुयोजना | ३९७३४५ | |
| गो.भौ. नं. र मिति | परामर्शदाताको नाम | परामर्शको विषय | भुक्तानी रकम | | | | | | | | | | | |
| २२१, २०७६/३/२९ | आइडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड प्लानर | भागेश्वर मन्दिरको गुरुयोजना | २८९००० | | | | | | | | | | | |
| २२९, २०७६/३/२९ | " " | अजयमेरुकोट गुरुयोजना | ३९७३४५ | | | | | | | | | | | |

| दफा नं. | भौ.नं., मिति र व्यहोरा | | | | बेरुजू रकम | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|--------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------|---------------------|--------------|----------------------|----------------------------|-------|-------------|-----------------|----------------|-------|----------------|-------|---------------|-----------------------|---------------|-------|--------------|------|--------------|--------------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-----------------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------|-----|---|----------------------------|-----|----|------|------|--------------|--|--|--|--------------|--------------|--|
| | २००, २०७६/३/२३ | प्राविधिक कर्मचारी | विभिन्न २१ वटा सडक सिंचाई योजना | ३६९६८८ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | जम्मा | | | १०५६०३३ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ४४. | <p>अनुगमन खर्च : गाउँपालिकाले बजेट खर्च गर्दा विल भरपाई सहितको लेखा राख्नु पर्नेमा भ्रमण आदेश वेगर विभिन्न समयको अनुगमन खर्च भनि भुक्तान गरेको निम्न बमोजिमको रकम नियम सँगत नदेखिएको रु.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>गो.भौ.नं. र मिति</th> <th>अनुगमन खर्च</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>२३/२०७५/६/१८</td><td>५०००</td></tr> <tr><td>४४/२०७५/७/१२</td><td>१२०००</td></tr> <tr><td>५३/२०७५/८/२</td><td>१५०००</td></tr> <tr><td>१८३/२०७५/१०/१६</td><td>३६५००</td></tr> <tr><td>१८३/२०७५/१०/१६</td><td>३६५००</td></tr> <tr><td>२८३/२०७६/१/२३</td><td>१५२००</td></tr> <tr><td>३३८/२०७६/२/२१</td><td>२१०००</td></tr> <tr><td>३९०/२०७६/३/२</td><td>६०००</td></tr> <tr><td>४००/२०७६/३/४</td><td>१४०६०</td></tr> <tr><td>४३८/२०७६/३/१७</td><td>१००००</td></tr> <tr><td>४९८/२०७६/३/२४</td><td>१२६००</td></tr> <tr><td>५२२/२०७६/३/२६</td><td>३०००</td></tr> <tr><td>५३४/२०७६/३/२७</td><td>१४०००</td></tr> <tr><td>५३६/२०७६/२९</td><td>४२५००</td></tr> <tr><td>५७५/२०७६/३/३१</td><td>१४०००</td></tr> <tr><td>जम्मा</td><td>२५७३६०</td></tr> </tbody> </table> | | | | गो.भौ.नं. र मिति | अनुगमन खर्च | २३/२०७५/६/१८ | ५००० | ४४/२०७५/७/१२ | १२००० | ५३/२०७५/८/२ | १५००० | १८३/२०७५/१०/१६ | ३६५०० | १८३/२०७५/१०/१६ | ३६५०० | २८३/२०७६/१/२३ | १५२०० | ३३८/२०७६/२/२१ | २१००० | ३९०/२०७६/३/२ | ६००० | ४००/२०७६/३/४ | १४०६० | ४३८/२०७६/३/१७ | १०००० | ४९८/२०७६/३/२४ | १२६०० | ५२२/२०७६/३/२६ | ३००० | ५३४/२०७६/३/२७ | १४००० | ५३६/२०७६/२९ | ४२५०० | ५७५/२०७६/३/३१ | १४००० | जम्मा | २५७३६० | २५७३६०/- | | | | | | | | | | | | | | |
| गो.भौ.नं. र मिति | अनुगमन खर्च | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २३/२०७५/६/१८ | ५००० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ४४/२०७५/७/१२ | १२००० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ५३/२०७५/८/२ | १५००० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १८३/२०७५/१०/१६ | ३६५०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १८३/२०७५/१०/१६ | ३६५०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २८३/२०७६/१/२३ | १५२०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ३३८/२०७६/२/२१ | २१००० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ३९०/२०७६/३/२ | ६००० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ४००/२०७६/३/४ | १४०६० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ४३८/२०७६/३/१७ | १०००० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ४९८/२०७६/३/२४ | १२६०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ५२२/२०७६/३/२६ | ३००० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ५३४/२०७६/३/२७ | १४००० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ५३६/२०७६/२९ | ४२५०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ५७५/२०७६/३/३१ | १४००० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| जम्मा | २५७३६० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ४५. | <p>न्यून बजेट योजना: स्थानीय निकायहरुले समानीकरण तथा सशर्त अनुदानतर्फको कार्यक्रम तथा बजेट विनियोजन गर्दा रु.५ लाखभन्दा कम लागत अनुमानका योजनाहरु स्वीकृत गर्न नहुनेमा यस वर्ष उक्त उल्लेखित सीमाभन्दा कम (३०००० देखि ५ लाख सम्म) ७२ वटा योजनामा रकमान्तरसमेत गरी १ करोड ६५ लाख ५ हजार रुपैयाँ बजेट तथा कार्यक्रम छुट्टाएको छ ।</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>सि.नं.</th> <th>क्षेत्रगत कार्यक्रम</th> <th>वडा नं.</th> <th>योजना स्वीकृत संख्या</th> <th>विनियोजित बजेट(रु.हजारमा)</th> <th>खर्च</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१</td> <td>पूर्वाधार विकास</td> <td>सबै वडा</td> <td>३१</td> <td>७३००</td> <td>७३००</td> </tr> <tr> <td>२</td> <td>लक्षित वर्ग केन्द्रित</td> <td>" "</td> <td>११</td> <td>१८००</td> <td>१८००</td> </tr> <tr> <td>३</td> <td>आर्थिक विकास</td> <td>१-६ वडा</td> <td>७</td> <td>२३०९</td> <td>२३०९</td> </tr> <tr> <td>४</td> <td>वातावरण संरक्षण</td> <td>" "</td> <td>१</td> <td>२००</td> <td>२००</td> </tr> <tr> <td>५</td> <td>संस्थागत सुधार</td> <td>" "</td> <td>३</td> <td>३००</td> <td>३००</td> </tr> <tr> <td>६</td> <td>गाउँपालिकास्तरिय पूर्वाधार</td> <td>" "</td> <td>१९</td> <td>४५९६</td> <td>४५९६</td> </tr> <tr> <td colspan="4">जम्मा</td> <td>१६५०५</td> <td>१६५०५</td> </tr> </tbody> </table> | | | | सि.नं. | क्षेत्रगत कार्यक्रम | वडा नं. | योजना स्वीकृत संख्या | विनियोजित बजेट(रु.हजारमा) | खर्च | १ | पूर्वाधार विकास | सबै वडा | ३१ | ७३०० | ७३०० | २ | लक्षित वर्ग केन्द्रित | " " | ११ | १८०० | १८०० | ३ | आर्थिक विकास | १-६ वडा | ७ | २३०९ | २३०९ | ४ | वातावरण संरक्षण | " " | १ | २०० | २०० | ५ | संस्थागत सुधार | " " | ३ | ३०० | ३०० | ६ | गाउँपालिकास्तरिय पूर्वाधार | " " | १९ | ४५९६ | ४५९६ | जम्मा | | | | १६५०५ | १६५०५ | |
| सि.नं. | क्षेत्रगत कार्यक्रम | वडा नं. | योजना स्वीकृत संख्या | विनियोजित बजेट(रु.हजारमा) | खर्च | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १ | पूर्वाधार विकास | सबै वडा | ३१ | ७३०० | ७३०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २ | लक्षित वर्ग केन्द्रित | " " | ११ | १८०० | १८०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ३ | आर्थिक विकास | १-६ वडा | ७ | २३०९ | २३०९ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ४ | वातावरण संरक्षण | " " | १ | २०० | २०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ५ | संस्थागत सुधार | " " | ३ | ३०० | ३०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ६ | गाउँपालिकास्तरिय पूर्वाधार | " " | १९ | ४५९६ | ४५९६ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| जम्मा | | | | १६५०५ | १६५०५ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| दफा नं. | भौ.नं., मिति र व्यहोरा | | | | | बेरुजू रकम |
|------------------|--|------------------------|-------------|--------------------------------------|---------------------|------------|
| ४६. | <p>उपभोक्ता समितिले सम्झौता अनुसार कार्यान्वयन जिम्मा लिएको निर्माणको काम निर्माण व्यवसायी मार्फत गराएको :</p> <p>क. उपभोक्ता समितिलाई निर्माण कार्यको बढीमा रु.१ करोडसम्मको लागत अनुमानको कार्य उपभोक्ता समिति मार्फत कार्यान्वयन गराउन सकिने व्यवस्था छ । यसरी उपभोक्ताले सम्झौता गरी लिएको योजना पुनः तेस्रो पक्षलाई करार गराई दिन नमिल्ने उल्लेख भएकोमा कार्यालयसँग सम्झौता गरेका अधिकांश ग्रामिण सडकहरु, लघु जलविद्युत योजनाहरु उपभोक्ताले ठेकेदारसँग पुनः सम्झौता गरी ग्रामिण सडकमा एक्साभेटर लगाएर खनी ठेकेदारको बिल संलग्न गरी भुक्तानीको लागि पेश गर्ने गरेको देखियो । प्राविधिकहरुले लागत अनुमान तयार गर्दा जनश्रमदानको Component अनुसारको कम यकिन गरी कुल लागत अनुमान तयार नगर्ने, सम्झौताअनुसारको भुक्तानी बिल तयार गर्दासमेत उपभोक्ताको सम्झौतामा कबोल अंकको जनश्रमदानको Component अनुसारको कामको मूल्याङ्कन बिल तयार नगरेकाले कार्य सम्पन्न प्रतिवेदनमा एकमुष्ट कुल मूल्याङ्कन रकमबाट भुक्तानी हुने अंश कट्टा गरी बाँकी बचत रकम उपभोक्ताको जनश्रमदान भनि बिलको अन्तिम हरफमा उल्लेख गर्नाले उपभोक्ताको यथार्थ जनश्रमदानको यकिन हुन सक्ने अवस्था देखिएन । उपभोक्तसँग गरेका सम्झौतामा न्यूनतम १५ प्रतिशत श्रमदान अनिवार्य गरेकोमा उपभोक्ताले ठेकेदारलाई सडक निर्माणको कार्य सवलेटमा दिएकाले श्रमदानको अंश समावेश हुन सक्ने अवस्था देखिएन ।</p> <p>ख. सार्वजनिक खरिद नियमावली,२०६४ को नियम ९७(९)(१०) बमोजिम उपभोक्ताबाट सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भएका निर्माण कार्यमा डोजर,लोडर एक्साभेटर जस्ता हेभी मेशीनहरुको प्रयोग गर्न नमिल्ने तर लागत अनुमान तयार गर्दा नै उक्त मेशीन प्रयोग गर्नुपर्ने प्रकृतिको काम उल्लेख भएमा मेशीनको प्रयोग गर्न सकिने, यसरी उपभोक्ता समितिले सम्झौताबाट लिएको निर्माण कार्य पुनः सवलेटमा ठेकेदारबाट गराउन सकिने छैन भनी उल्लेख छ । गाउँपालिकाले ग्रामीण सडकका सबैजसो योजनाहरु उपभोक्ता समिति मार्फत गराउन सम्झौता गरेकोमा ती समितिहरुले आ आफुले जिम्मा लिएका निर्माणका कार्यहरु सिधै निर्माण व्यवसायीसँग सम्झौता गरी मू.अ.कर विजक जारी गरी निर्माण कार्य गराइ मु.अ. करसमेत बिलमा थप गरेर भुक्तानी लिएको अवस्था छ । एक्जाभेटर, ब्रेकर जस्ता सामानको प्रयोग गरी निर्माण व्यवसायीबाट सम्पन्न गराएका समितिहरुले सम्झौता गरेका योजनाका केही उदाहरण निम्न छन ।</p> | | | | | |
| गो.भौ.नं. र मिति | उपभोक्ता समिति | योजनाको नाम | सम्झौता रकम | ठेकेदारबाट गराएको कामको भुक्तानी रकम | ठेकेदारको नाम | |
| १६४, ०७५/१०/२१ | चिपुर पसेला बगरकोट स.नि.उ.स. | चिपुर पसेला बगरकोट सडक | १००००० ० | ८६७८६२ | राष्ट्रनिर्माण सेवा | |
| ७६, ०७५/११/१५ | देवल कल्लाल थोसिला स.नि.उ.स | देवल कल्लाल थोसिला सडक | ५००००० | ४२३५०० | सिद्धनाथ नि.सेवा | |
| २१, ०७५/१०/६ | गुवाडी कानाकोट स.नि.उ.स | गुवाडी कानाकोट सडक | ७००००० | ७००००० | सिद्धनाथ नि.सेवा | |
| २०५, ०७६/३/२३ | चनवेताल खेलमैदान | चनवेताल खेलमैदान | ९००००० | ९००००० | राष्ट्रनिर्माण सेवा | |

| दफा नं. | भौ.नं., मिति र व्यहोरा | | | | | | बेरुजू रकम | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|---|------------------------------------|-------------|---------|-----------------------------|------------|--------------|---------------------|--------------|-------------------------------|--------|-------------------|--------|------------------|-----|------------------------|--------|-----|-----|-------------------------------|--------|-----|-----|-------------|-------|-----|-----|------------|--------|-----|-----|---|---------|-------|--|--|---------|--|
| | | उ.स. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | २२२, ०७६/३/२९ | दोगाड चमडा चोरलेख स.नि.उ.स. | दोगाड चमडा चोरलेख सडक | १००००० ० | ९६०५०० | कल्पना कन्स्ट्रक्सन | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | २२७, ०७६/३/२९ | ढिमला भद्रपुर चिपुर स.नि.उ.स. | ढिमला भद्रपुर चिपुर सडक | १९७५००० | १९७५००० | न्यू डि.के.कन्स्ट्र क्सन | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ८२, ०७५/११/२६ | अनारखोली खत्येड सडक नि.उ.स. | अनारखोली खत्येड सडक | १००००० ० | १०००००० | बडौला कन्स्ट्रक्सन | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ६५, ०७६/३/२० | गुनापाल मगराउ मुलकुडा सडक | गुनापाल मगराउ मुलकुडा सडक | ३००००० | ३००००० | न्यू डि.के.कन्स्ट्र क्सन | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | जम्मा | | | | ७१२६८६२ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ४७. | <p>सशर्त पूँजीगत: कृषि तथा पशु अनुदान वितरण कार्यविधि, २०७३ अनुसार विभिन्न संघ संस्था वा निकायलाई उपलब्ध गराएको अनुदान तोकिएबमोजिमको कार्यमा उपयोग भए नभएको, पूर्ण निर्धारित उपलब्धी हासिल हुन सके नसकेको, खर्चको पारदर्शिता रहे नरहेको सम्बन्धमा खर्च लेख्ने सार्वजनिक निकायले अनुगमन गरी प्रतिवेदन लिनुपर्ने व्यवस्था छ। गाउँपालिकाले आय आर्जनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा विभिन्न समूह, संस्थालाई रु.२५६९५००/- अनुदान वितरण कर्मचारीमार्फत पेशकी दिई सञ्चालन गरेको देखियो।</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>कार्यक्रम</th> <th>अनुदान किसिम</th> <th>अनुदान वितरण संख्या</th> <th>भुक्तानी रकम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>गरिवसँग विश्वेश्वर वाखा वितरण</td> <td>अनुदान</td> <td>वाखा वितरण ३२ वटा</td> <td>२०००००</td> </tr> <tr> <td>समानीकरण पूँजीगत</td> <td>" "</td> <td>उन्नत जातको बोका वितरण</td> <td>११००००</td> </tr> <tr> <td>" "</td> <td>" "</td> <td>१० हप्ते कुखुराको चल्ला वितरण</td> <td>१८७५००</td> </tr> <tr> <td>" "</td> <td>" "</td> <td>राँगो वितरण</td> <td>७५०००</td> </tr> <tr> <td>" "</td> <td>" "</td> <td>भैंसी खरिद</td> <td>२६४०००</td> </tr> <tr> <td>" "</td> <td>" "</td> <td>विउ तरकारी, नर्सरी निर्माण तथा वितरण (कृषि क्षेत्र)</td> <td>१७३३०००</td> </tr> <tr> <td colspan="3">जम्मा</td> <td>२५६९५००</td> </tr> </tbody> </table> <p>उक्त अनुदानको सदुपयोग सम्बन्धमा कार्यालयले अनुदान दिने निकायको अनुगमन गरी प्रतिवेदन लिने नगरेको, प्रत्येक वर्ष अनुदान लिनेको लगत दोहोरो नपर्ने गरी अद्यावधिक समेत नगरेकाले अनुदान प्राप्त गर्नेका लगत अद्यावधिक गरी यसरी वितरित अनुदानको सदुपयोग भए नभएको अनुगमन गर्न नसक्दा खर्चको उपादेयता यकिन गर्न सकिएन।</p> | | | | | | कार्यक्रम | अनुदान किसिम | अनुदान वितरण संख्या | भुक्तानी रकम | गरिवसँग विश्वेश्वर वाखा वितरण | अनुदान | वाखा वितरण ३२ वटा | २००००० | समानीकरण पूँजीगत | " " | उन्नत जातको बोका वितरण | ११०००० | " " | " " | १० हप्ते कुखुराको चल्ला वितरण | १८७५०० | " " | " " | राँगो वितरण | ७५००० | " " | " " | भैंसी खरिद | २६४००० | " " | " " | विउ तरकारी, नर्सरी निर्माण तथा वितरण (कृषि क्षेत्र) | १७३३००० | जम्मा | | | २५६९५०० | |
| कार्यक्रम | अनुदान किसिम | अनुदान वितरण संख्या | भुक्तानी रकम | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| गरिवसँग विश्वेश्वर वाखा वितरण | अनुदान | वाखा वितरण ३२ वटा | २००००० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| समानीकरण पूँजीगत | " " | उन्नत जातको बोका वितरण | ११०००० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| " " | " " | १० हप्ते कुखुराको चल्ला वितरण | १८७५०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| " " | " " | राँगो वितरण | ७५००० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| " " | " " | भैंसी खरिद | २६४००० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| " " | " " | विउ तरकारी, नर्सरी निर्माण तथा वितरण (कृषि क्षेत्र) | १७३३००० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| जम्मा | | | २५६९५०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ४८. | <p>वितरित भरपाईको आधिकारिकता सम्बन्धमा: गाउँपालिकाले स्वीकृत बजेट खर्च गर्दा विल भरपाई सहितको लेखा राख्नु पर्नेमा गाउँपालिकाबाट सञ्चालित वितरणमुखि कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा पेश भएका वितरण भरपाईमा मिति समेत नखुल्ने, हस्ताक्षर नरहेको संख्या यकिन नभएको अवस्था समेत पाईयो। अधिकांश भरपाईहरु सादा पानामा</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| दफा नं. | भौ.नं., मिति र व्यहोरा | बेरुजू रकम | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|----------------|-----------------|----------------|-------------|-------------------------------|----------|---------------------------------|----------------|--------------------------------|-------|----------------|--|--------|------------------------------|---------|-----------------------------|---------------|--------------|------------------------------|---------------|--------------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|----------|
| | <p>पेश गर्ने गरेको गाउँपालिकाले वडा र केन्द्रमा तोकेका कर्मचारीले प्रमाणित गरेको समेत पाईएन । वितरण गरिएका अनुदानका कार्यक्रमबाट खरिद भएका सामानहरु बुझाउदा पहिचान स्पष्ट खुले किसिमका बिलभरपाई तयार गरी सो लाई आधिकारीक व्यक्तिबाट प्रमाणित भई आए पछि मात्र यस्ता अनुदान भुक्तानी हुने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । यस सम्बन्धमा परीक्षण गरिएका केही उदाहरण निम्न छन्:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>गो भौ न /मिति</th> <th>कार्यक्रमको नाम</th> <th>कार्यक्रम खर्च</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">३७२०७६।३।२३</td> <td>तरकारी विउ वितरण (५०% अनुदान)</td> <td>४४०८०</td> </tr> <tr> <td>खुर्सानी विउ वितरण (५०% अनुदान)</td> <td>३८५००</td> </tr> <tr> <td>तरकारी किट वितरण (१००% अनुदान)</td> <td>५००००</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">३३।२०७६।३।१८</td> <td>गोला सहितको मौरी घर वितरण (५०% अनुदान)</td> <td>१४००००</td> </tr> <tr> <td>उन्नत सहयोग कार्यक्रम (१००%)</td> <td>४५८५०</td> </tr> <tr> <td>आकस्मिक वाली संरक्षण (१००%)</td> <td>४४०४०</td> </tr> <tr> <td>४२।२०७६।३।३१</td> <td>प्लाष्टिक वितरण (५०% अनुदान)</td> <td>१८९०००</td> </tr> <tr> <td>४४।२०७६।३।३१</td> <td>फलफूल वितरण (५०% अनुदान)</td> <td>२६०३३</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">जम्मा</td> <td>५७७५०३</td> </tr> </tbody> </table> | गो भौ न /मिति | कार्यक्रमको नाम | कार्यक्रम खर्च | ३७२०७६।३।२३ | तरकारी विउ वितरण (५०% अनुदान) | ४४०८० | खुर्सानी विउ वितरण (५०% अनुदान) | ३८५०० | तरकारी किट वितरण (१००% अनुदान) | ५०००० | ३३।२०७६।३।१८ | गोला सहितको मौरी घर वितरण (५०% अनुदान) | १४०००० | उन्नत सहयोग कार्यक्रम (१००%) | ४५८५० | आकस्मिक वाली संरक्षण (१००%) | ४४०४० | ४२।२०७६।३।३१ | प्लाष्टिक वितरण (५०% अनुदान) | १८९००० | ४४।२०७६।३।३१ | फलफूल वितरण (५०% अनुदान) | २६०३३ | जम्मा | | ५७७५०३ | | |
| गो भौ न /मिति | कार्यक्रमको नाम | कार्यक्रम खर्च | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ३७२०७६।३।२३ | तरकारी विउ वितरण (५०% अनुदान) | ४४०८० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | खुर्सानी विउ वितरण (५०% अनुदान) | ३८५०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | तरकारी किट वितरण (१००% अनुदान) | ५०००० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ३३।२०७६।३।१८ | गोला सहितको मौरी घर वितरण (५०% अनुदान) | १४०००० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | उन्नत सहयोग कार्यक्रम (१००%) | ४५८५० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | आकस्मिक वाली संरक्षण (१००%) | ४४०४० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ४२।२०७६।३।३१ | प्लाष्टिक वितरण (५०% अनुदान) | १८९००० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ४४।२०७६।३।३१ | फलफूल वितरण (५०% अनुदान) | २६०३३ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| जम्मा | | ५७७५०३ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ४९. | <p>ग्रेड रकम: कार्यालयले कार्यरत प्राविधिक कर्मचारीको तलव खर्च लेखा मिति २०५७।४।१ भन्दा अगाडी प्राविधिक पदमा स्थायी नियुक्त भएका कर्मचारीको मात्र प्राविधिक ग्रेडको रकम खर्च लेख्नुपर्नेमा २०५७।४।१ भन्दा अगाडी अस्थायी नियुक्ति लिएकै आधारमा गाउँपालिकाका अस्थायी कर्मचारी अ.स.ई. देवकुमार साहले प्रतिमहिना रु.१४७८।- का दरले जम्मा रु.१९१२४।- हुनेमा सा.सु.कर कट्टि गरी रु.१९०२२।- खुवाएको हुँदा कानूनबमोजिम नपाउने सुविधा लिएकाले निजबाट उक्त रकम असुल गर्नुपर्ने रु.</p> | १९०२२/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ५०. | <p>विविध खर्च सम्बन्धमा: कार्यालयले खर्च गर्दा विल भरपाईसहित लेखा राख्नुपर्नेमा विविध खर्च तथा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा खर्च देखाइएको निम्नबमोजिमको खाजा/खाना वापतको रकम के प्रयोजनका लागि कुन-कुन कार्यक्रममा खर्च गरिएको सो सम्बन्धी स्वीकृत कार्यक्रम लागत अनुमानवेगर प्रयोजन नै नखुलाई खर्च भएको देखिएकाले नियम सँगत नदेखिएको रु.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>सि.नं.</th> <th>गो.भौ.नं./मिति</th> <th>विल /रकम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१</td> <td>१०८/२०७५/९/११</td> <td>५७५००.००</td> </tr> <tr> <td>२</td> <td>२१७/२०७५/११/१५</td> <td>३०७५०.००</td> </tr> <tr> <td>३</td> <td>२२१/२०७५/११/१७</td> <td>३६२००.००</td> </tr> <tr> <td>४</td> <td>२८६/२०७६/१/२३</td> <td>३०००.००</td> </tr> <tr> <td>५</td> <td>३०२/२०७६/१/२६</td> <td>२६१२८.००</td> </tr> <tr> <td>६</td> <td>४६३/२०७६/३/१९</td> <td>२९१२५</td> </tr> <tr> <td>७</td> <td>५२९/२०७६/३/२७</td> <td>२०४७५</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">जम्मा</td> <td>२०३१७८</td> </tr> </tbody> </table> | सि.नं. | गो.भौ.नं./मिति | विल /रकम | १ | १०८/२०७५/९/११ | ५७५००.०० | २ | २१७/२०७५/११/१५ | ३०७५०.०० | ३ | २२१/२०७५/११/१७ | ३६२००.०० | ४ | २८६/२०७६/१/२३ | ३०००.०० | ५ | ३०२/२०७६/१/२६ | २६१२८.०० | ६ | ४६३/२०७६/३/१९ | २९१२५ | ७ | ५२९/२०७६/३/२७ | २०४७५ | जम्मा | | २०३१७८ | २०३१७८/- |
| सि.नं. | गो.भौ.नं./मिति | विल /रकम | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १ | १०८/२०७५/९/११ | ५७५००.०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २ | २१७/२०७५/११/१५ | ३०७५०.०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ३ | २२१/२०७५/११/१७ | ३६२००.०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ४ | २८६/२०७६/१/२३ | ३०००.०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ५ | ३०२/२०७६/१/२६ | २६१२८.०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ६ | ४६३/२०७६/३/१९ | २९१२५ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ७ | ५२९/२०७६/३/२७ | २०४७५ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| जम्मा | | २०३१७८ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ५१. | <p>गो.भौ. नं. ४५।२०७५।६।३१ बाट अनुगमन मूल्यांकन खर्च भनि रु १०३६५२। खर्च देखाइएकोमा दैनिक भ्रमण आदेश रहेता पनि अनुगमन सुभाब विवरण सहितको कुनै प्रतिवेदन तथा अनुगमनको आधार देखिएन । अनुगमन अधार विनाको उक्त खर्च रकम नियम सँगत नदेखिएको रु</p> | १०३६५२/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | संघिय सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम चालु | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ५२. | नर्स: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| दफा नं. | भौ.नं., मिति र व्यहोरा | बेरुजू रकम | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|------------------|---------------------|------------------|-------------------|---------------|-----|-------------------------------|----------|--------------------|--------|----------|---------------------------------|----------|-------|----------|----------|-------------------------------|-------|----------|----------|---------------------|---------------------------------|----------|----------|--------|---|------------------------------|-------|-------|--------|--------------|--|--|--|--------|----------|
| | कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा उक्त कार्यक्रम अन्तर्गतका प्रत्येक क्रियाकलापमा गरीने खर्चको नमर्सतयार गरी सोही बमोजिम खर्च गर्नु पर्दछ । ग्रामिण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजनाले कतिपय सीप विकास परियोजनामा तालिम सामाग्रीको नमर्स तयार नगर्दा तालिम सामाग्रीमा प्रति प्रशिक्षार्थी अधिक लागत पर्न गई कार्यक्रमको लक्ष्य अनुसार वढी लाभग्राहीले सेवा पाउने अवसर सृजना गर्न सकेको देखिएन । आगामी दिनमा सीमित सहभागीलाई वढी खर्च गर्नु भन्दा वढी लक्षित समुह लाभन्वित गर्न तथा प्रत्येक क्रियाकलापमा गर्न सकिने खर्चको नमर्स तयार गरी लागु गर्नुपर्दछ । | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ५३. | <p>प्रमाण पेश गर्नुपर्ने:</p> <p>कार्यक्रम सञ्चालन खर्च गर्दा खर्चलाई पुष्ट्याई गर्ने आधार र प्रमाणका साथ खर्च लेख्नु पर्दछ । कार्यालयले विभिन्न ५ सामुदायिक सिकाई केन्द्रलाई ३० प्रतिशत फर्निचर तथा ७० प्रतिशत पुस्तक खरिदमा खर्च गर्न भनि पत्र साथ रु ५६६०००। सिकाई केन्द्रका नाममा निकास दिइएको छ । सो अनुसार सामाग्री खरिद गरी सिकाई केन्द्रका नाममा आम्दानी जनाएको कुनै प्रमाण सेस्तामा समावेश गरेको छैन जसबाट कार्यक्रम लक्ष्य अनुरूप उपयोग भई सदुरूपयोग हुने अवस्था देखिएन । यस्ता विद्यालयहरुलाई जाने अनुदान उपयोगको स्पष्ट आधार सहितको प्रमाण पेश हुनुपर्ने रु.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>सि.नं.</th> <th>सिकाई केन्द्रको नाम</th> <th>अनुदान रकम रु</th> <th>प्रशासनिक खर्च रु</th> <th>जम्मा रु</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१</td> <td>समैजी सामुदायिक सिकाई केन्द्र</td> <td>७५०००</td> <td>२५०००</td> <td>१०००००</td> </tr> <tr> <td>२</td> <td>अजयमेरु सामुदायिक सिकाई केन्द्र</td> <td>७५०००</td> <td>२५०००</td> <td>१०००००</td> </tr> <tr> <td>३</td> <td>चिपुर सामुदायिक सिकाई केन्द्र</td> <td>७५०००</td> <td>२५०००</td> <td>१०००००</td> </tr> <tr> <td>४</td> <td>भद्रपुर सामुदायिक सिकाई केन्द्र</td> <td>१४१०००</td> <td>२५०००</td> <td>१६६०००</td> </tr> <tr> <td>५</td> <td>देवल सामुदायिक सिकाई केन्द्र</td> <td>७५०००</td> <td>२५०००</td> <td>१०००००</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">जम्मा</td> <td>५६६०००</td> </tr> </tbody> </table> | सि.नं. | सिकाई केन्द्रको नाम | अनुदान रकम रु | प्रशासनिक खर्च रु | जम्मा रु | १ | समैजी सामुदायिक सिकाई केन्द्र | ७५००० | २५००० | १००००० | २ | अजयमेरु सामुदायिक सिकाई केन्द्र | ७५००० | २५००० | १००००० | ३ | चिपुर सामुदायिक सिकाई केन्द्र | ७५००० | २५००० | १००००० | ४ | भद्रपुर सामुदायिक सिकाई केन्द्र | १४१००० | २५००० | १६६००० | ५ | देवल सामुदायिक सिकाई केन्द्र | ७५००० | २५००० | १००००० | जम्मा | | | | ५६६००० | ५६६०००/- |
| सि.नं. | सिकाई केन्द्रको नाम | अनुदान रकम रु | प्रशासनिक खर्च रु | जम्मा रु | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १ | समैजी सामुदायिक सिकाई केन्द्र | ७५००० | २५००० | १००००० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २ | अजयमेरु सामुदायिक सिकाई केन्द्र | ७५००० | २५००० | १००००० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ३ | चिपुर सामुदायिक सिकाई केन्द्र | ७५००० | २५००० | १००००० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ४ | भद्रपुर सामुदायिक सिकाई केन्द्र | १४१००० | २५००० | १६६००० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ५ | देवल सामुदायिक सिकाई केन्द्र | ७५००० | २५००० | १००००० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| जम्मा | | | | ५६६००० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ब.उ.शी.नं. ३६५८४७३ बहुक्षेत्रिय पोषण कार्यक्रम | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ५४. | <p>जनशक्ति भर्ना:</p> <p>स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ८३(८) मा गाउँपालिका तथा गाउँपालिकाले नगर प्रहरी, चालक, कार्यालय सहयोगी, पलम्वर, इलेक्ट्रीशियन, चौकीदार, माली, वगैचे र सरसफाई सम्बन्धी पदमा स्थायी पदपूर्ति नगरी प्रतिस्पर्धाको आधारमा सेवा करारमा मात्र लिनुपर्ने र सो वाहेक अन्य पदमा सेवा करारबाट पदपूर्ति गर्न नपाइने व्यवस्था छ । साथै यस कार्यक्रमको बजेट मार्गदर्शनको बुदा न ७ मा स्वयं सेवक नियुक्ति तथा निजले पाउने पारिश्रमिक र सुविधा समेत तोकिएको र सो वाहेक अन्य स्वयं सेवक राख्न नपाइने व्यवस्था र यस कार्यक्रममा कार्यक्रमले मार्गदर्शन गरे अनुसारको स्वयंसेवक सेवारत रहेकै अवस्थामा ६ जना अनमीसँग सेवा करार गरी मंशिर १५ देखि असार सम्म निजहरुको पारिश्रमिकमा रु.४४००००। खर्च लेखेको छ । अतः बजेट मार्गदर्शन अनुरूप कर्मचारी, स्वयंसेवक राखी खर्च लेख्नुपर्दछ ।</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>नाम</th> <th>अवधि/ महिना</th> <th>मासिक पारिश्रमिक</th> <th>जम्मा रकम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>वशन्ती अवस्थी</td> <td>६.५</td> <td>१००००.००</td> <td>६५०००.००</td> </tr> <tr> <td>प्रमिला कुमारी ओझा</td> <td>७.५</td> <td>१००००.००</td> <td>७५०००.००</td> </tr> <tr> <td>फूल महता</td> <td>७.५</td> <td>१००००.००</td> <td>७५०००.००</td> </tr> <tr> <td>मनिका पाल</td> <td>७.५</td> <td>१००००.००</td> <td>७५०००.००</td> </tr> <tr> <td>सरस्वती कुमारी भट्ट</td> <td>७.५</td> <td>१००००.००</td> <td>७५०००.००</td> </tr> </tbody> </table> | नाम | अवधि/ महिना | मासिक पारिश्रमिक | जम्मा रकम | वशन्ती अवस्थी | ६.५ | १००००.०० | ६५०००.०० | प्रमिला कुमारी ओझा | ७.५ | १००००.०० | ७५०००.०० | फूल महता | ७.५ | १००००.०० | ७५०००.०० | मनिका पाल | ७.५ | १००००.०० | ७५०००.०० | सरस्वती कुमारी भट्ट | ७.५ | १००००.०० | ७५०००.०० | | | | | | | | | | | | |
| नाम | अवधि/ महिना | मासिक पारिश्रमिक | जम्मा रकम | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| वशन्ती अवस्थी | ६.५ | १००००.०० | ६५०००.०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| प्रमिला कुमारी ओझा | ७.५ | १००००.०० | ७५०००.०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| फूल महता | ७.५ | १००००.०० | ७५०००.०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| मनिका पाल | ७.५ | १००००.०० | ७५०००.०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| सरस्वती कुमारी भट्ट | ७.५ | १००००.०० | ७५०००.०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| दफा नं. | भौ.नं., मिति र व्यहोरा | | | | बेरुजू रकम | | | | | | | | | | | |
|---------|---|--|--------|----------|------------|----------|---|----------------------|-------------|--------|---|-------------|------|-------|--|----------|
| | | लक्ष्मी साउद | ७.५ | १००००.०० | | ७५०००.०० | | | | | | | | | | |
| | जम्मा | | | ४४०००० | | | | | | | | | | | | |
| ५५. | <p>शिक्षा सशर्तः विद्यार्थीको यथार्थ तथ्यांक प्रवाह गर्ने उद्देश्यका साथ Education Management Information System (EMIS) निर्माण भई सञ्चालनमा रहेको छ । सोही EMIS को तथ्यांकका आधारमा गाउँपालिकाले पाठ्यपुस्तक, छात्रवृत्ति, बुक कर्नर लगायतका विभिन्न अनुदानहरु निकासी गर्ने गरेको छ । तर निकासी गर्दा आधार लिएको तथ्यांक र पाठ्यपुस्तक वितरण, छात्रवृत्ति वितरणलगायतको भरपाईका विचमा तालमेल भएको पाइएन । EMIS जेष्ठ ७ गते र चैत्र २३ गते अनिवार्य रुपमा Update गर्नुपर्ने तथा अन्य जुनसुकै समयमा आवश्यकता अनुसार Update गर्न सकिने व्यवस्था भएअनुसार EMIS लाई Update गरी तथ्यांकलाई यथार्थपरक बनाउन गाउँपालिकाले ध्यान पुऱ्याउनुपर्दछ ।</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| ५६. | <p>सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमः सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ को परिच्छेद ७ बमोजिम प्रत्येक स्थानीय तहले मन्त्रालयको स्वीकृति बिना कुनैपनि प्रकारका सामाजिक सुरक्षा भत्ता नगद वितरण गर्न नपाइने र प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्र भित्रका सबै लक्षित वर्ग तथा समूहको तथ्याङ्क केन्द्रीय पञ्जिकरण विभागको MIS systemमा Online प्रविष्टी गरी अद्यावधिक गरेको तथ्याङ्कको आधारमा नजिकको बैंकको शाखाबाट खाता सञ्चालन गरी वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <p>(क) गाउँपालिकाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने व्यक्तिको विवरण अद्यावधिक गरेको देखिएन भने तीन वटै चौमासिकको सामाजिक सुरक्षा भत्ता रकम रु.३१९८८८००।- नगदमा बुझाएको देखियो । उल्लेखित अवस्थामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा दुरुपयोग हुन सक्ने देखिएकोले व्यवस्थापन पक्षले लाभग्राहीहरुको मुल अभिलेख अद्यावधिक, सो को नविकरण, लगत कट्टा, वितरण प्रणाली र बैंक खाता सञ्चालन लगायत तोकिएका अन्य कार्यहरुलाई विश्वसनीय र भरपर्दो बनाउनुपर्ने देखिन्छ । बैंकमा खाता खोली बैंकमार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्नुपर्दछ ।</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <p>(ख) सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७५ को बुँदा नं.११ अनुसार सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी अनुसूची ८, ९, १०, ११ र १२ तयार गरी सोको आधारमा भत्ता खर्च लेख्नुपर्ने व्यवस्था उल्लेख छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने व्यक्तिको परिचयपत्र सहितको नामावली अद्यावधिक नहुँदा भत्ता पाउने उचित व्यक्ति छुट वा अर्को व्यक्तिले दोहोरो भत्ता भुक्तानी लिई खर्चमा अनियमितता हुन जाने सम्भाव्यता विद्यमान रहन्छ । गाउँपालिकाले निर्देशिकामा व्यवस्था गरे अनुसार सबै अनुसूचीको भिडान गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता खर्च लेख्ने, अधिल्लो चौमासिकमा भएको नविकरण, लगत कट्टाको अभिलेखलाई अद्यावधिक गरेर मात्र अर्को चौमासिकको किस्ता भुक्तानी गर्नुपर्नेमा सो वेगर सामाजिक सुरक्षा भत्ता खर्च लेख्ने गरेकोले खर्च नियन्त्रण व्यवस्था अत्यन्तै नाजुक देखियो । निर्देशिकाले तोके अनुसार अनुसूची अद्यावधिक गराएर मात्र बजेट खर्च लेख्नुपर्दछ ।</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| ५७. | <p>अन्य प्रयोजनको खर्चः स्वीकृत बजेटभित्र तोकिएको खर्च शिर्षकमा मात्र खर्च गर्नुपर्नेमा गाउँपालिकाले अन्य कार्यलय वा संस्थाहरुको खर्च रकम भुक्तानी तथा नगद अनुदान समेत प्रदान गरेको छ । अन्य कार्यलय/संस्था लाई भुक्तान गरेको रकम नियम सँगत नदेखिएको रु.</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>सि.नं.</th> <th>संस्था</th> <th>प्रयोजन</th> <th>रकम रु</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१</td> <td>नेपाल पत्रकार महासंघ</td> <td>भवन निर्माण</td> <td>१०००००</td> </tr> <tr> <td>२</td> <td>प्रहरी चौकी</td> <td>भाडा</td> <td>४००००</td> </tr> </tbody> </table> | सि.नं. | संस्था | प्रयोजन | रकम रु | १ | नेपाल पत्रकार महासंघ | भवन निर्माण | १००००० | २ | प्रहरी चौकी | भाडा | ४०००० | | १४००००/- |
| सि.नं. | संस्था | प्रयोजन | रकम रु | | | | | | | | | | | | | |
| १ | नेपाल पत्रकार महासंघ | भवन निर्माण | १००००० | | | | | | | | | | | | | |
| २ | प्रहरी चौकी | भाडा | ४०००० | | | | | | | | | | | | | |

| दफा नं. | भौ.नं., मिति र व्यहोरा | | | बेरुजू रकम |
|---------|---|-------|--------|------------|
| | | जम्मा | १४०००० | |
| ५८. | <p>पेशकी : आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियम ३६(५) मा सरकारी निकायबाट कुनै तालिम, गोष्ठी, कार्यशाला गोष्ठी आदि सञ्चालन गर्दा सो कार्यको कार्यक्रम तथा लागत अनुमान तयारी गरी अधिकारप्राप्त अधिकारीबाट स्वीकृत गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। कार्यालयले कृषि, शिक्षा, पशु र स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पेशकी माग गर्दाको बखत कार्यक्रम निर्देशिका अनुरूपका क्रियाकलापहरु निर्धारण गर्ने र स्वीकृत नर्स अनुसार लागत अनुमान तयार गरी स्वीकृत लागत अनुमानका आधारमा त्यस्ता तालिम, गोष्ठी सञ्चालन गर्नुपर्नेमा निवेदनका आधारमा पेशकी लिने, लिएको पेशकी फर्छ्यौट नगरी पुनः पेशकी दिने आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म कार्यक्रम नगरी पेशकी रहरहने र बर्षान्तमा मात्र कार्यक्रम गरी पेशकी फर्छ्यौटको लागि पेश गर्ने गरेको देखियो। पेशकी दिएको रकम म्यादभित्र फर्छ्यौट गर्नु गराउनुपर्दछ।</p> | | | |
| ५९. | <p>आन्तरिक लेखापरीक्षण : स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७७ (२) मा प्रत्येक स्थानिय निकायले सवै प्रकारका आय व्ययको लेखापरीक्षण गराउनु पर्ने व्यवस्था छ। ऐनको ९६ वमोजिम कार्यकारी प्रमुखले आफ्नो कार्यालयको राजस्व, धरौटी तथा विनियोजन तर्फको आय व्यय तथा खडा भएको कार्य सञ्चालन कोष तथा अन्य कोषको अन्य व्यवस्था नहुञ्जेल आन्तरिक लेखापरीक्षण जिल्ला स्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट गराउनु पर्दछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ। कार्यालयले आफ्नो आन्तरिक आय तथा अनुदानबाहेकका केन्द्रीय ६ वटा शिर्षकको मात्र आन्तरिक लेखापरीक्षण गराएको छ। गाउँपालीकाले आफ्नो वार्षिक आय व्यय तथा अन्य कोष समेतको अनिवार्य रूपमा आन्तरिक लेखापरीक्षण गरी अन्तिम लेखापरीक्षणको लागि अद्यावधिक गराउनु पर्दछ।</p> | | | |

अजयमेरु गाउँपालिकाको संचित कोष विवरण
२०७५।७६

अनुसूची १

(रु.हजारमा)

| क्र.सं. | स्थानीय तह | जिल्ला | आय | | | | | व्यय | | | | मौज्दात बाँकी |
|---------|--------------------|----------|----------------------|-----------------|----------------------------|---------|----------|-----------|-------------|-----------|------------|---------------|
| | | | गत वर्षको जिम्मेवारी | समानीकरण अनुदान | सशर्त तथा अन्य बजेट अनुदान | अन्य आय | जम्मा आय | चालु खर्च | पूजीगत खर्च | अन्य खर्च | जम्मा खर्च | |
| १ | अजयमेरु गाउँपालिका | डडेलधुरा | ६५५४ | ७५१५१ | २९०८२९ | ७५३८ | ३७३५१८ | २३७३५७ | ९७७७६ | १६३६३ | ३५१४९६ | २८५७६ |

अनुसूची-२

बेरुजू बर्गीकरण (विनियोजन, राजस्व, धरौटी र अन्य कारोबार)
२०७५।७६

(रु.हजारमा)

| क्र.सं. | स्थानीय तह | प्रारम्भिक बेरुजू | | | प्रतिक्रियाबाट फछ्यौट | | | बाँकी बेरुजू | | | बेरुजू | | | | | | | | |
|---------|--------------------|-------------------|----|-------|-----------------------|----|------|--------------|----|-------|-----------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------|--------|-----------------|-------|-------------|
| | | दफा संख्या | | रकम | दफा संख्या | | रकम | दफा संख्या | | रकम | असुल गर्नुपर्ने | नियमित गर्नुपर्ने | | | | पेस्की | | जम्मा | |
| | | सै. | ल. | | सै. | ल. | | सै. | ल. | | | अनियमित भएको | प्रमाण कागजात पेश नभएको | राजस्व लगत जिम्मेवारी नसारेको | सोधभर्ना नलिएको | जम्मा | कर्मचारी पेस्की | | अन्य पेस्की |
| १ | अजयमेरु गाउँपालिका | ४८ | ११ | १९०८९ | ० | १ | ४१६४ | ४८ | १० | १४९२५ | १२३२९ | २०३० | ५६६ | ० | ० | २५९६ | ० | ० | ० |

अनुसूची-३

अद्यावधिक बेरुजू स्थिति
२०७५।७६

(रु.हजारमा)

| क्र.सं. | स्थानीय तह | जिल्ला | गत वर्षसम्मको बाँकी | यो वर्षको फछ्यौट | बाँकी | यो वर्ष सं.प.बाट कायम भएको बेरुजू | यो वर्षको बेरुजू | कुल बाँकी बेरुजू |
|---------|--------------------|----------|---------------------|------------------|-------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| १ | अजयमेरु गाउँपालिका | डडेलधुरा | १२९४ | ० | १२९४ | ० | १४९२५ | १६२१९ |